**ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.**

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/Bhopal, Date:-02-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, NishthaParisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of January'2018

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of January'2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

**Jauuary'2018**

| S.No. | Case No.&Dt. | Name of Applicant | Name of Non-applicant | Order Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बी.टी./27 20.11.2017 | श्रीरिजवानअंसारी, ऐशबागस्टेडियम,भोपाल। | उपमहाप्रबंधकशहरसंभाग (पूर्व)म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 02.01.2018 |
| 2 | बी.टी./23 21.10.2017 | श्रीनरेन्द्र कुमारमैश्राम, एयरपोर्टभोपाल। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 03.01.2018 |
| 3 | बी.टी/24 30.10.2017 | श्रीआशीषओझा, करोंदभोपाल। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 05.01.2018 |
| 4 | बी.टी/26 18.11.2017 | मो. इस्लाम, ऐशबागस्टेडियम, भोपाल। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 08.01.2018 |
| 5 | बी.टी/15 15.09.2017 | श्रीइब्राहिम खॉपुत्र नन्ने खॉ, लटेरी, जिलाविदिशा। | उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभागम.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. गंजबसौदा। | 09.01.2018 |
| 6 | बी.टी/19 03.10.2017 | श्रीअशोककुमारअग्रवाल, लटेरीजिलाविदिशा। | उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. गंजबसौदा। | 09.01.2018 |
| 7 | जी.टी./47 17.10.2017 | श्रीमतिरंजनासरवैया, डी.डी. नगर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 15.01.2018 |
| 8 | जी.टी./52 17.10.2017 | श्रीमतिविमलापाण्डे, दीनदयालनगर,ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 16.01.2018 |
| 9 | जी.टी./12 13.06.2017 | श्रीनीतेशकुमारकृपलानीग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 17.01.2018 |
| 10 | जी.टी./36 19.09.2017 | श्रीअजीजउद्दीनकुरैशीग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 19.01.2018 |
| 11 | जी.टी./39 17.10.2017 | श्रीहमीद खानपुत्र श्रीवहीद खान, लश्कर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 20.01.2018 |
| 12 | जी.टी./48 17.10.2017 | श्रीगोपाल सिंह राजपूत, गोलेकामन्दिरग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 22.01.2018 |
| 13 | जी.टी./78 13.11.2017 | श्रीमतिराधादोहरेपत्निश्रीगोविन्द सिंह, लश्कर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 22.01.2018 |
| 14 | जी.टी. /5117.10. 2017 | श्रीसंजय भारद्वाज, पुत्र श्रीरामसहाय, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(पूर्व) म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 24.01.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | जी.टी./61 13.11.2017 | श्रीकृष्णमोहनगुप्ता, पुत्र स्व. श्रीविद्याराम,ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 24.01.2018 |
| 16 | जी.टी. /6613.11. 2017 | श्रीछोटे सिंह कुशवाह, सिकंदरकम्पूग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग(दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 24.01.2018 |
| 17 | जी.टी. /7213.11. 2017 | श्रीशिवसिंहकुशवाहमुरार, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 25.01.2018 |
| 18 | जी.टी. /7413.11. 2017 | श्री धनीरामपाल, मुरार,ग्वालियर | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 29.01.2018 |
| 19 | जी.टी. /7512.12. 2017 | श्रीमुन्नालालपुत्र श्रीबावूलाल, लश्कर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 29.01.2018 |
| 20 | जी.टी. /8414.12. 2017 | श्रीराजमाथुरपुत्र श्रीप्रीतम सिंह माथुर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 31.01.2018 |

Encl: (20) Orders A/a.

**CHAIRPERSON**

**ECGRF BHOPAL**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 942–43 भोपाल, दिनांक 19 / 01 / 2018

प्रति,
श्रीमति विमला पाण्डे,
जी.एम. 1421, सेक्टर जी,
दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक16.01.2018के संबंध में।**

**–0–**

**महोदय,**

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–52 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक16.01.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न** :निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

**प्रतिलिपि –**

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–52 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 16.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

**संलग्नः–**निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.जी.टी.52/2017**

**17.10.2017**

श्रीमति विमला पाण्डे, (आवेदिका)
जी.एम. 1421, सेक्टर जी,
दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.

**आदेश**

**आज–16.01.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/52 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017,08.12.2017 एवं 11.01.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका श्रीमति विमला पाण्डे के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन जी.एम 1421, डी.डी. नगर ग्वालियर में है। जिसका सर्विस क्रमांक 7769203000है।माह अप्रैल में मेरी खपत केवल 119 यूनिट थी, जो आपके द्वारा जारी बिल से स्पष्ट है।

माह अगस्त एवं सितम्बर 2017 के स्पॉट बिलों में लगभग 2400 यूनिट खपत आपके द्वारा दर्शायी गयी है। मेरे घर पर इन दो माह में ऐसा कोई परिवर्तन नही आया है न ही लोड़ बढ़ा है कि इतनी बिजली का उपयोग हो। कृपया निरीक्षण कर संशोधित बिल जारी करे जिससे मै भुगतान कर सकूँ, अन्यथा मुझे आपके विभाग की विद्युत उपभोक्ताशिकायत

निवारण फोरम एवं जिला उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगानी पडेगी। शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा सहित।

**5. अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किप्रकरण क्रमांक जी.टी.–52/2017 दिनांक 17.10.2017 में उपभोक्ता श्रीमति विमला पाण्डे जी एम 1421, डी.डी. नगर के द्वारा अपने विद्युत संयोजन क्रमांक 7769203000 में कि गई शिकायत परीक्षण किया जाकर माह अगस्त 2017 एवं माह अक्टूबर 2017 में आई खपत को विभाजित करने पर कोई लाभ नही निकलता है। विभाजित करने पर रू.494/– की ओर बढोतरी हो रही है। अतः बिल सही है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना उचित है। सुलर्भ सन्दर्भ हेतु विभाजित करने की केल्युलेशन शीट की प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण में कोई सुधार संभव नही होने से प्रकरण को निराकृत कर समाप्त करने की कृपा करे।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 10.11.2017 को आवेदिका प्रतिनिधि श्री अजीत प्रताप सिंह ने फोरम के समक्ष कथन किया कि हमारे यहा माह जनवरी 2017 से मई 2017 तक सही रीडिंग के बिल आता था, किन्तु माह जून 2017 में मीटर रीडर द्वारा इक्ट्ठी रीडिंग दे दी गई जिसके बिल अधिक आ गया। इसी प्रकार माह जुलाई 2017 में सितम्बर 2017 तक के बिलों में भी इक्ट्ठी रीडिंग के कारण बिल अधिक आ रहा है और इस पर अधिभार भी लगाया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि माह जून 2017 में जो इक्ट्ठी रीडिंग आई है। उसको उपरोक्त माहों में विभाजित कर दिया जाए एवं उस पर लगा अधिभार भी हटाया जाकर संशोधित बिल प्रदान करने हेतु निवेदन है। ताकि मै बिल का भुगतान कर सकू।

अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का परिक्षण करने के उपरांत भी माह अगस्त 2017 एवं अक्टूबर 2017 में मीटर में दर्ज खपत को विभाजित करने के उपरांत भी आवेदिका को उसके विद्युत देयकों में राहत दिया जाना संभव नही है। क्योकि विभाजित करने के बाद रू. 494/– की बढ़ोतरी हो रही है। अतः जारी किये गये बिल सही है, जिनका भुगतान आवेदिका द्वारा किया जाना उचित है।

प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता के पासबुक के अनसुार वर्ष

2014 से जनवरी 2018 में यह पाया गया की जो मीटर रीडर लगातार 2 से 6 महीने की रीडिंग लेता रहा उसने रीडिंग कम नोट की तथा जैसे की नया मीटर रीडर आवेदिका के परिसर की रीडिंग लेने आया उसी में वास्तविक मीटर में रीडिंग दर्ज की उस माह में खपत अधिक दर्ज हुई तथा इस प्रकार अगले माह से फिर खपत कम मीटर रीडर द्वारा दर्ज की गई और जैसे ही फिर 4–5 माह बाद मीटर रीडर चैंज किया, फिर अधिक खपत दर्ज हुई एवं अगले माह में फिर से खपत कम दर्ज हुई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मीटर रीडर द्वारा ली गई कम रीडिंग संदिग्ध है।

अतः यह मीटर में रीडिंग के Accumulation (रीडिंग कम लेने के कारण इक्ट्ठी रीडिंग) के कारण इक्ट्ठी खपत दर्ज हुई है, ऐसा पाया गया है। अतः आवेदिका को माह अगस्त 2017 एवं अक्टूबर 2017 में मीटर में दर्ज खपत के अनुसार इक्ट्ठी रीडिंग के विद्युत देयक जारी किये गये है, जो सही है एवं इनमें कोई राहत नही दी जा सकती है।

अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16.01.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 048/2017**

17.10.2017

श्रीगोपाल सिंह राजपूत,
बगिया मीनू जैन, किराना स्टोर के सामने, **(आवेदक)**
गोले का मन्दिर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

## आदेश

**आज दिनांक 22.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/48दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 10.11.17, 08.12.17 एवं 11.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—निवेदन हैं कि मेरे घर में घरेलू और व्यावसायिक दो मीटर लगे हुए हैं, जिनका मैं हर महीने नियत तारीख से पहले बिजली का बिल जमा करता हूॅ। लेकिन इस महीने बिजली का बिल आया हैं, वह बहुत ज्यादा आया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मेरे बिल में संशोधन कर एवं मीटर सही से चैक कर बिल बनाकर पैसा कम करने की कृपा करें।

3. **अनावेदक का कथन :**—अनावेदक की ओर से दिनांक 11.01.18 को फोरम के समक्ष आवेदक की शिकायत के कथन किया गया कि प्रकरण क्रमांक 48/2017 दि. 17.10.17 में उपभोक्ता श्री गोपाल सिंह राजपूत, बगिया मीनू जैन किराना स्टोर के समाने गोले का मन्दिर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 5105295808 में की शिकायत के तारतम्य में

निवेदन हैं कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत का अवलोकन करने पर माह अक्टूबर 17 में आई इकठ्ठी खपत को पिछले 12 माहों में बराबर–बराबर विभाजित किया जाकर रूपये 12689/– का क्रेडिट उपभोक्ता के देयक में कर दिया गया हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**दिनांक 10.11.17 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक ने कथन किया कि उनके एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–46–7–5105295808 एवं संयोजित भार 3000 वॉट हैं। जब से विद्युत मीटर कनेक्शन पर लगा हैं, तब से मीटर रीडिंग नहीं ली गई हैं। मैंने आंकलित खपत के बिलों का भुगतान आज तक मेरे द्वारा किया गया हैं। सितम्बर 17 में स्पाट बिलिंग चालू की गई हैं। स्पाट बिल के तहत ली गई रीडिंग माह सितम्बर 17 में इकठ्ठी रीडिंग 4469 दर्ज हैं तथा खपत 4448 दर्ज हुई हैं। अतः पूर्व में आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिल संशोधित किया जावें ताकि मैं बिजली के बिलों का भुगतान कर सकूँ एवं पूर्व में दिये गये बिलों के भुगतान की गई राशि को मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधित बिलों में समायोजित की जावें।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता की शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि माह अक्टूबर 17 में इकठ्ठी रीडिंग का बिल जारी होने पर उक्त खपत को पूर्व 12 माहों में बराबर विभाजित कर विद्युत बिल को संशोधित कर दिया गया हैं एवं रूपये 12689/– की क्रेडिट सी.सी.बी. द्वारा दिया जा चुका हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

आवेदक ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन उपरांत फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरा अप्रैल 16 से सितम्बर 17 तक इकठ्ठी खपत का विद्युत बिल माह अक्टूबर 17 में दिया गया था, जिसमें अनावेदक ने इकठ्ठी खपत को माह अप्रैल 16 से सितम्बर 17 तक बराबर विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित कर पूर्व में जमा की गई राशि को समायोजित करते हुए रूपये 12689/– की क्रेडिट देकर विद्युत देयक संशोधित कर दिया गया हैं। जिससे मैं संतुष्ट हूँ। प्रकरण में आगे कुछ नहीं कहना हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जायें।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में विद्युत मीटर स्थापना के बाद लगातार मीटर रीडिंग न लेकर माह मार्च 16से सितम्बर

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

तक आंकलित खपत के विद्युत देयक आवेदक को जारी किये गये, जिनका भुगतान भी आवेदक द्वारा किया जाता रहा। माह अक्टूबर 17 में मीटर में इकठ्ठी दर्ज रीडिंग 4696 अनुसार दर्ज खपत 4525 यूनिट का विद्युत देयक आवेदक को जारी किया गया, जो कि विवाद एवं शिकायत का कारण हैं और इसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से भी होती हैं।

अनावेदक द्वारा आवेदक के माह अक्टूबर 17 के विद्युत बिल में वर्तमान वाचन 4696 एवं पूर्व वाचन नवम्बर 16, 0 लेकर माह नवम्बर 16 से अक्टूबर 17 तक 12 माह की खपत 4696–0 = 4696 यूनिट इकठ्ठी खपत को 12 माह में बराबर विभाजित कर प्रतिमाह खपत 392 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत 12689/– रूपये की क्रेडिट आवेदक को दी गई हैं, जो कि आवेदक के कथन अनुसार एवं उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक के संयोजन पर मीटर स्थापना के बाद से ही उसे आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये जा रहें थें। अतः माह अक्टूबर 17 में मीटर में दर्ज रीडिंग 4696 एवं मार्च 16 में प्रारंभिक रीडिंग 0 अनुसार खपत 4696 यूनिट को माह मार्च 16 से अक्टूबर 17तक में बराबर विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधन किया जाना चाहिये।

7. **फोरम का निर्णयः–**अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि माह मार्च 16 से अक्टूबर 17 तक जारी आंकलित खपत एवं मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत के जारी समस्त विद्युत देयकों को निरस्त किया जावें एवं माह अक्टूबर 17 में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 4696 यूनिट को माह मार्च 16 से अक्टूबर 17 तक 20 माहों में बराबर विभाजित कर प्रतिमाह खपत 235 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित करें तथा संशोधन उपरांत दी जाने वाली क्रेडिट में से पूर्व में दे दी गई क्रेडिट को कम करते हुए संशोधित विद्युत देयक में से पूर्व में आवेदक द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान की गई राशि को समायोजित कर संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक आवेदक को जारी करें। आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें। अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 22/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 985–86 भोपाल, दिनांक 23.01.2018

प्रति,

श्री गोपाल सिंह राजपूत,
बगिया मीनू जैन, किराना स्टोर के सामने,
गोले का मन्दिर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–48 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 22 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–48 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 051/2017**

17.10.2017

श्रीसंजय भारद्वाज पुत्र श्री रामसहाय,
बल्देव नगर, भिण्ड रोड,
गोले का मन्दिर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 24.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/51दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 10.11.17, 07.12.17 एवं 11.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**यह कि (1) विद्युत कंपनी द्वारा बिल क्रमांक 897481806407 दिनांक 06.04.17 में नियम विरूद्ध/गलत राशि रूपये 37602/- को संदर्भित बिल में समायोजित किया गया हैं तथा उस पर अधिभार प्रतिमाह लगाया गया हैं।

(2) यह कि विद्युत कंपनी द्वारा बिल 897486014819 दिनांक 05.05.17 में मीटर जल जाने के कारण167 यूनिट आंकलित खपत की गणना के अनुसार बिल जारी नहीं किया गया हैं। कंपनी ने नियम विरूद्ध आंकलित खपत 300 यूनिटों की गणना का बिल जारी किया गया हैं तथा गणना में रूपये 454/- की वृद्धि की गई हैं।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

(3) यह कि विद्युत कंपनी द्वारा बिल 8974865114 दिनांक 06.06.17 में नियम विरूद्ध आंकलित खपत 167 यूनिटों के स्थान पर आंकलित खपत 400 यूनिटों की गणना के आधार पर पुनः बिल जारी किया गया हैं।

(4) यह कि विद्युत कंपनी द्वारा बिल 897488802236 दिनांक 03.07.17 में नियम विरूद्ध पुनः आंकलित खपत 167 यूनिटों के स्थान पर आंकलित खपत 1500 यूनिटों की गणना के आधार पर बिल जारी किया गया हैं।

(5) यह कि विद्युत कंपनी द्वारा बिल 897485941713 दिनांक 05.09.17 मीटर रीडिंग खपत के आधार पर बिल जारी न करके आंकलित खपत (अनुमानतः) 245 यूनिटों की गणना के आधार पर बिल जारी किया गया हैं तथा पुनः गलत समायोजन राशि रूपये 1400 जोड़े गये हैं तथा अधिभार प्रतिमाह लगाया गया हैं।

(6) यहकिविद्युतकंपनी द्वारा बिल 89748401367 दि. 05.10.17 मीटर रीडिंग से जारी न करके पुनः आंकलित खपत 193 यूनिटों की गणना के आधार पर जारी किया गया हैं।

(7) यह कि आवेदक समस्या के समाधान के लिये जे.ई. से लेकर सी.जी.एम. तक आवेदन दे चुका हैं लेकिन कंपनी द्वारा लगातार गलत/नियम विरूद्ध बिल जारी किये जा रहे हैं तथा बिलों में आवेदक के पिता का नाम रामशरण एवं मोबाईल नंबर 99813363 में भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा हैं।

अतःमहोदय से विनम्र अनुरोध हैं कि आवेदक को नियमानुसार बिलों में सुधार करके जारी किया जावें। आवेदक पर कंपनी का मात्र आंकलित खपत 634 यूनिटों(मीटर जलने का समय दिनांक 11.04.17 से 14.04.17 (1065 यूनिटों ) की देयक राशि मात्र बकाया हैं। समस्या के समाधान न होने के कारण आवेदक अनुमानतः देयक राशि रूपये 5385/– के चैकों को मासिक कंपनी को दे चुका है। समस्या के समाधान के लिये कंपनी अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 10.01.2018 को फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.51/2017 दिनांक 17.10.17 में उपभोक्ता श्री संजय भारद्वाज ए–10 बलराम नगर, डीडी नगर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 8974892000 में की शिकायत के तारतम्य में की गई शिकायत का अवलोकन करने पर प्रकरण मई 2017 से अक्टूबर 2017 तक लगी आंकलित खपत एवं नवम्बर 17 में मीटर परिवर्तन पश्चात आई इकठ्ठी 1600 यूनिट खपत का निराकरण करने हेतु इकठ्ठी खपतको मई 17 से नवम्बर 17 तक बराबर विभाजित कर आंकलित खपत हटाते हुए रू. 12261/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। उपभोक्ता की बिल से संबंधित शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

श्रीमान जी उपभोक्ता के यहॉ दिनांक 08.01.2017 को विजिलेंस द्वारा चैकिंग की गई थीं एवं अनियमितता पाये जाने पर धारा 126 के तहत पंचनामा क्रमांक 112342/01 दिनांक 08.01.2017 बनाया गया था। जिसकी बिलिंग राशि रूपये 37602/– का पूरक देयक जारी किया गया था उक्त प्रकरण में विजिलेंस टीम द्वारा पंचनामें के विरूद्ध रूपये 71076/– की बिलिंग की जाकर Allready paid Rs. (-) 33474/- कुल भुगतान योग्य राशि रूपये 37602/– (सैंतीस हजार छः सौ दो रूपये) का पूरक देयक दिया गया था, किन्तु माननीय न्यायालय से मई 2017 को आयोजित होने वाली लोक अदालत हेतु त्रुटिवश Allready paid Rs. (-) 33474/- का नोटिस जारी हो गया था, जिसके विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा 08.07.2017 को चैक क्रमांक 040841 दिनांक 08.07.2017 बैंक ऑफ इण्डिया से रसीद क्रमांक 1771/382, दिनांक 08.07.2017 को रूपये 20084/– का भुगतान किया गया था, किन्तु वह चैक डिस्आनर्ड हो गया। अतः उपभोक्ता को कोई छूट नहीं दी गई।

तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा पूर्व में जारी नोटिस (नोटिस लोक अदालत मई 2017) वाले नोटिस में स्वयं ही कॉट–छॉट कर दिनांक 08.07.2017 को आयोजित लोक अदालत में रसीद क्रमांक 1779/71 दिनांक 08.07.2017 से रूपये 20084/– जमा करवाये गये हैं, जबकि कुल सिविल दायित्व रूपये 37602/– का 40% रूपये 15041/– कम होकर शेष राशि रूपये 22561/– जमा होना चाहिये था। अतः प्रथम बार ही चैक डिस्आनर्ड होने के कारण आवेदक लोक अदालत छूट का पात्र नहीं रह जाता हैं। उक्त से स्पष्ट हैं कि उपभोक्ता द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया हैं। अतः उपभोक्ता द्वारा पूर्व पंचानामा क्रमांक 112342/01 दिनांक 08.01.2017 के विरूद्ध कुल राशि रूपये 37602/– में से जमा राशि रूपये 20084/– को पार्ट पेमेण्ट मानकर स्वीकार किया गया हैं, शेष राशि 17518/– और जमा करवाना शेष हैं।

इसी प्रकार दिनांक 18.07.2017 को पुनः लोकल चैकिंग के दौरान अनियमितता पाने पर पंचनामा क्रमांक 112407/36 दिनांक 18.07.2017 को बनाया गया एवं रूपये 26278/– की बिलिंग की गई, जो उपभोक्ता द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं की गई हैं। इस प्रकार उपभोक्ता गलत जानकारी देकर जबरदस्ती माननीय फोरम में प्रकरण लगाकरअनावश्यक सुधार चाहता है। माननीय फोरम के समक्ष Revised calculation sheet एवं उपरोक्त दोनों पंचनामें की प्रति एवं डिस्आनर चैक की छायाप्रतियां आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के विद्युत बिल में जो आंकलित खपत लगाई गई थीं, वह आंकलित खपत हटाकर 167 यूनिट के हिसाब से बिल को संशोधित कर दिया जावें और मई 2017 एवं जून 2017 के आंकलित खपत बिल में सुधार होना शेष हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि माह मई 2017 एवं जून 2017 के बिल में लगी आंकलित खपत को हटाकर संशोधित बिल प्रदान करने हेतु निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण हेतु मीटर परिवर्तन पश्चात माह नवम्बर 2017 में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 1600 यूनिट को पिछले माहों में तथा मई 2017 से नवम्बर 2017 तक लगी आंकलित खपत हटाकर वास्तविक मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार खपत को बराबर 7 माहों में विभाजित कर दिया गया हैं, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता को राशि रूपये 12,261/– की क्रेडिट माह दिसम्बर 2017 के संशोधित बिल में दिया गया हैं। इसके पूर्व दिनांक 08.01.2017 को उपभोक्ता के परिसर में सतर्कता विभाग द्वारा चैकिंग की गई थीं, जिसका पंचनामा क्रमांक 112342/01 दिनांक 18.01.2017 को बनाया गया था, जिसकी बिलिंग राशि रूपये 37,602/– उपभोक्ता के देयक में जोड़ी गई हैं। उपभोक्ता द्वारा अप्रैल 2017 से कोई विद्युत बिल जमा नहीं किये हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत निराकरण हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उनका अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि मैं किये गये निराकरण से सहमत नहीं हूॅ। क्योंकि माह दिसम्बर 2017 को जो बिल प्रस्तुत किया गया हैं। मुझे समायोजन राशि रूपये 37602/–माह अप्रैल 2017 एवं जुलाई 2017 में राशि रूपये 1300/– अगस्त 2017 राशि रूपये 1300, सितम्बर 2017 में राशि रूपये 1400 एवं गणना वृद्धि माह मई 2017 में राशि रूपये 454/– एवं नवम्बर 2017 में राशि रूपये 522/– को नहीं हटाया गया हैं। अतः उक्त राशि को हटाते हुए संशोधित बिल दिया जावें ताकि मैं भुगतान कर सकूॅ। यहीं मेरा निवेदन हैं।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत फोरम ने यह पाया कि आवेदक का विद्युत मीटर खराब होने के उपरांत अनावेदक द्वारा उसके विद्युत देयकों माह अप्रैल 2017 के पश्चात मीटर खराब होने से मई 2017 से जुलाई 2017 तक जारी विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत से संबंधित शिकायत हैं। शेष शिकायत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा

126 के तहत आवेदक के परिसर की चैकिंग में आवेदक के यहॉ अनाधिकृत रूप से घरेलू विद्युत कनेक्शन से व्यावसायिक श्रेणी में विद्युत का उपयोग पाया गया, जिसके तहत धारा 126 के तहत एक पंचनामा क्रमांक 112342/01, दिनांक 08.01.2017 को बनाया गया था एवं जिसकी बिलिंग राशि रूपये 71,076/– की जाकर Allready Paid (-) 33,474/– कम करते हुए भुगतान योग्य राशि रूपये 37,602/– का पूरक विद्युत देयक जारी किया गया था। अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण के विरूद्ध शिकायत इस फोरम में सुनने के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से इस फोरम द्वारा धारा 126 के प्रकरण के संबंध में अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके लिये आवेदक उचित मंच में सुनवाई हेतु जाने के लिये स्वतंत्र हैं।

फोरम में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के अप्रैल 2017 के बाद खराब हुएविद्युत मीटर को दिनांक 15.07.2017 को नया मीटर 0006 रीडिंग पर स्थापित कर बदल दिया गया। पुराने मीटर में अंतिम रीडिंग 8962/– पाई गई। अतः आवेदक का परिसर में अप्रैल बिल्ड मई 2017 से 15 जुलाई 2017 तक की अवधि में मीटर खराब रहा हैं। अतः जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिये विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जायेगा।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 कंडिका 8.35 (ब) ''ऐसे प्रकरण में जहॉ मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटि पूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटि पूर्ण पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत, मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थी, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी केस्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगें जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।''

अतः उपरोक्त कण्डिका के अनुसार आवेदक के मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह अप्रैल 2017 में मीटर में दर्ज खपत 192 यूनिट, मार्च 2017 में 158 यूनिट एवं फरवरी 2017 में 151 यूनिट दर्ज हैं, का औसत 192+158+151= 501/3 = 167 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत लेकर माह मई 2017, जून 2017 एवं जुलाई 2017 के विद्युत देयक संशोधित करें एवं उक्त माह में मीटर किराया न लिया जावें तथा जुलाई बिल्ड इन अगस्त 2017 से नवम्बर 2017 तक के विद्युत देयक नये मीटर में इकठ्ठी दर्ज खपत 1423 यूनिट एवं पुराने मीटर में अंतिम रीडिंग 8962 के अनुसार शेष खपत 177, कुल 1600 यूनिट को माह अगस्त 2017 से नवम्बर 2017 तक 4 माहों में बराबर विभाजित कर आवेदक के विद्युत देयक 400 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर संशोधित करें।

संशोधन उपरांत दी जाने वाली क्रेडिट में से पूर्व में दी जा चुकी क्रेडिट को कम करते हुए संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी करें।

उपभोक्ता द्वारा समय समय पर यह भी शिकायत की गई कि उसके विद्युत बिल में उनके पिताजी के वास्तविक नाम श्री रामशरण के स्थान पर श्री रामसहाय दर्ज होकर आ रहा हैं। फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आवेदक उपभोक्ता से आवश्यक उचित दस्तावेज प्राप्त कर उनके रिकार्ड में पिता का सही नाम दर्ज कर सही बिल प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें। अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1006–07 भोपाल, दिनांक 27.01.2018

प्रति,

श्री संजय भारद्वाज पुत्र श्री रामसहाय,
बल्देव नगर, भिण्ड रोड,
गोले का मन्दिर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–51 / 2017) दिनांक17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 24 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–51 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

**पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 061/2017**

13.11.2017

श्रीकृष्ण मोहनगुप्तापुत्र स्व. श्रीविद्याराम,
डी–49, हर्षापुरम,
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभागकेन्द्रीय),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**(अनावेदक)**

**आदेश**

**आजदिनांक24.01.2018कोपारितकियागया।**

1. आवेदक ने, अपनेविद्युतकनेक्शन के संबंध में यहआवेदन, विद्युतअधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहतप्रस्तुतकियाहै।

2. आवेदक के इसआवेदनकोफोरम द्वाराप्रकरणक्रमांक जी.टी/61दिनॉक 13.11.17 कोपंजीकृतकरदिनॉक07.12.17 एवं 11.01.18 कोसुनागया।

3. प्रकरणमेंउभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थितहोकरअपनापक्ष रखा।

4. **आवेदककाकथनः–**मीटररीडिंगश्रीहरपाल सिंह द्वारारीडिंग 35504 काबिल रूपये 11865 करदियागया, जबकिActual Reading 34554थींतथाउसकाबिल रूपये 3319/–काहै।श्रीहरपाल द्वाराबिलतोपरिवर्तितकरदिया, किन्तुOnline मेंकरेक्शननहींकियागया।इसप्रकारहमेंपरेशानीकासामनाकरनापड़ा। कृपयाबिलमेंकरेक्शनकाआदेशपारितकरनेकाकष्टकरें।

3. **अनावेदककाकथन :–**अनावेदककी ओरसेदिनांक 11.01.2018 कोफोरम के समक्ष उपस्थितश्रीमुकेशजैन, कार्यालय सहायक श्रेणी–3 द्वाराकथनकियागयाकिउपभोक्ताकी माहनवम्बर 2017 मेंआयी खपतकानिराकरणमाहनवम्बर 17 के बिलमेंकरदिया

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

गयाहैं एवं उनके द्वारा की गईरीडिंगकाभीउल्लेख उनके बिलमेंकियाजाचुकाहैं एवंफोरम द्वाराचाहेगयेदस्तावेज, उपभोक्तापासबुकमाहदिसम्बर 2017 एवंजनवरी 2018 काबिलप्रस्तुतहैं, जिसमेंस्पष्टहोरहाहैंकिआवेदक की रीडिंगमेंसुधारहोगयाहैं।अतः माननीय महोदय सेनिवेदनहैंकिप्रकरणसमाप्तकरनेकाकष्टकरें।

6. **फोरम द्वारा की गईसमीक्षा एवंनिर्णय :–**आवेदक ने प्रकरणमेंदिनांक 07.12.17 कोफोरम के समक्ष कथनकियाकिमेरीरीडिंग 4 दिनपहले 35884 आईहैं।इसकाबिलमुझे दियाजावें, जिसकामैंभुगतानकरसकूॅ।मीटररीडर एवंस्टाफ द्वारा की गईगलतीपर उन परकार्यवाही की जावें, जबतक 35554 रीडिंग न आवें, तबतकप्रकरणकोपेंडिंग रखाजावें।

अनावेदक ने प्रकरणमेंकथनकियाकिउपभोक्ता की माहनवम्बर 2017 मेंआयी खपतकानिराकरणमाहनवम्बर 2017 के बिलमेंकरदियागयाहैं एवं उनके द्वारा की गईरीडिंगकाभीउल्लेख उसकेविद्युतबिलमेंकियाजाचुकाहैऔरआवेदकको रूपये 6189/– की क्रेडिटभीमाहनवम्बर 2017 के देयकमें दे दीगईहैं।अतः प्रकरणसमाप्तकरनेकाकष्टकरें।

प्रकरणमेंआवेदक एवंअनावेदक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेजों एवंफोरम के समक्ष कियेगयेकथनों की विवेचनामें यह पायागयाकिआवेदककोजारीमाहनवम्बर 2017 के विद्युतबिलमेंवर्तमानवाचन 35554 दर्जहैं, जबकि 08 नवम्बर 2017 कोमीटरमें 34884 हैं।अतः यहीआवेदककाविवादहैं।

अनावेदक ने रीडिंगलेनेमेंहुईगलतीमेंसुधारकरमाहनवम्बर 2017 काविद्युतदेयकमीटरमेंदर्जरीडिंगअनुसारविद्युत खपतलेकरविद्युतदेयकसंशोधितकरआवेदकको रूपये 6189/– की क्रेडिटदेतेहुए माहनवम्बर 2017 काविद्युतदेयकआवेदककोजारीकियाजानास्वीकारकियाहैं।

इसप्रकारअनावेदक द्वाराआवेदक की शिकायतकानिराकरणकरदियागयाहैं।अतः फोरम द्वाराप्रकरणसमाप्तकियाजाताहैं।

पालनप्रतिवेदनआदेश प्राप्तिदिनांकसे 15 दिवस के अन्दरफोरमकोप्रस्तुतकरें ।

दोनोंपक्षोंकोइसआदेश की प्रति, नियमानुसारनिःशुल्कभेजीजाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24/01/2018
स्थान : भोपाल

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस. मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य(राजस्व एवंलेखा) | सदस्य(अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1002–03 भोपाल, दिनांक25.01.2018

प्रति,

श्री कृष्ण मोहनगुप्तापुत्र स्व. श्रीविद्याराम,
डी–49, हर्षापुरम,
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक24 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकीशिकायत (प्रकरण क्रमांकजी.टी.–61 / 2017)दिनांक13.11.2017 कानिराकरणविद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम, भोपाल द्वारादिनांक24 / 01 / 2018कोकियाजाचुकाहैं।फोरम द्वारापारितनिर्णय की प्रतिइसपत्र के साथसंलग्नकरनिःशुल्कप्रेषित की जारहीहैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग केन्द्रीय),म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)–लेख हैंकिप्रकरणक्रमांकजी.टी.–61 / 2017 दिनांक 13.11.2017 मेंफोरम के निर्णय दिनांक24 / 01 / 2018इसपत्र के साथसंलग्नकरआपकीओरप्रेषित की जारहीहैं।आपसेअनुरोध हैंकिफोरम द्वारापारितनिर्णय कापालनप्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांकसे 15 दिवस की अवधि मेंसंबंधितकोअवगतकरातेहुए उसकी एक प्रतिफोरमकोभीप्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 066/2017**

13.11.2017

श्रीछोटे सिंह कुशवाह,
बारह बीघा, गोकुल मेरिज गार्डन के पास, **(आवेदक)**
सिकन्दर कंपू, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक 24.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/66दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.12.17 एवं 11.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हमारा मीटर (विद्युत) का क्रमांक (बिल क्रमांक) 251599240839 हैं तथा सर्विस क्रमांक 2424307'62–3–2515962000 हैं, जिसका विद्युत शुल्क जुलाई माह में 36532 आया हैं तथा विद्युत बिल में यूनिट 6325 हैं, जो कि गलत हैं। श्रीमान महोदय, इस प्रार्थना पत्र में विद्युत डायरी की छायाप्रति संलग्न हैं, जिसमें सही यूनिट 2225 को 6325 में बदल दिया गया हैं, जो कि प्रार्थी के न्याय उचित नहीं हैं। अतः श्रीमान महोदय जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विशेष ध्यान दिया जाये तो आपकी अति कृपा होगी।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

3. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि उपभोक्ता की मीटर वाचन पुस्तिका में माह 06/2017 में उपभोक्ता की रीडिंग 6325 दर्ज हुई हैं। इसके बाद उपभोक्ता को मीटर वाचन 2120–6325 = 4205 यूनिट का बिल माह 07/2017 में जारी हुआ। उपभोक्ता की रीडिंग दर्ज होने के बाद उपभोक्ता का मीटर जल गया, जिसे दिनांक 08.07.2017 को बदल दिया गया। चूँकि पूर्व में उपभोक्ता की रीडिंग कम कम प्रत्येक माह में दर्ज हुई तथा माह जून की रीडिंग 4205 यूनिट का बिल माह जुलाई में जारी हुआ वह इकठ्ठी खपत का था। उसे मीटर लगने की तारीख अर्थात 11/2015 से माह 07/2017 के मध्य आई कुल खपत को समविभाजित करते हुए तथा पूर्व में की गई समस्त बिलिंग को समायोजित करते हुए बिल को संशोधित कर दिया गया हैं, जिसमें रू. 7152/– का क्रेडिट समायोजन कर दिया हैं। संशोधित बिल पत्र के साथ संलग्न हैं।

4. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**आवेदक के प्रतिनिधि श्री मुकेश सिंह कुशवाह, जो कि आवेदक के पुत्र हैं द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरा विद्युत बिल जून 2017 में सही आया था। मेरा मीटर जल गया था, उसके बाद फिर जुलाई 2017 में रूपये 36532/– का बिल दिया गया था। मैंने सिकन्दर कंपू जोन कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसकी जॉच करने के बाद बिल में संशोधन किये जाने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई जॉच नहीं की गई एवं न ही बिल में कोई संशोधन किया गया। मैंने उप महाप्रबंधक, कंपू जोन को आवेदन दिनांक 28.07.2017 को दिया गया। उन्होंने भी जॉच कराने का आश्वासन दिया एवं कहा कि आप सिकन्दर कंपू जोन में जाकर संपर्क करें। आपका काम जोन वाले कर देंगे या आपकी समस्या का निराकर कर देंगे। सिकन्दर कंपू जोन के अधिकारी ने मुझे अपनी मीटर डायरी दिखाई। मैंने देखा कि 2225 यूनिट को 6325 ओव्हर राईट कर लिखा गया था। मैंने मीटर रीडिंग डायरी का फोटो संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर खींचा। मैंने श्री संदीप कालरा, उप महाप्रबंधक (दक्षिण संभाग) से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं जोन वाले अधिकारी से बात करूंगा। तब से आज तक मेरी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा कनेक्शन पर नया मीटर लगा दिया गया हैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता का माह जून 2017 में दिनांक 22.06.2017 को मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग 6325 अंकित की गई, जिसका बिल माह जुलाई 2017 में मीटर वाचन 2120 – 6325 = 4205 यूनिट इकठ्ठी खपत का बिल जारी किया गया, जो कि मीटर में दर्ज रीडिंग की खपत के आधार पर हैं। तदुपरांत उपभोक्ता का मीटर जल गया, जिसे उपभोक्ता द्वारा मीटर की कीमत रूपये 1375/–

जमा कर बदलवा दिया गया हैं। उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण में कार्यवाही करते हुए माह जुलाई 2017 में इकठ्ठी आई खपत 4205 यूनिट को प्रांरभ से अर्थात मीटर लगाने की दिनांक नवम्बर 2015 से कुल खपत को समायोजित करते हुए एवं पूर्व में की गई बिलिंग को समायोजित करते हुए बिल में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित बिल जवाब के साथ संलग्न हैं।

आवेदक ने फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर कथन किया कि अनावेदक ने मेरी शिकायत 4205 यूनिट खपत का निराकरण नहीं किया हैं एवं मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूॅ।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वह अगली पेशी पर आवेदक के परिसर का संयोजित विद्युत भार की रिपोर्ट एवं नये स्थापित विद्युत मीटर की रीडिंग माह दिसम्बर 2017 तक की फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 11.01.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष चाही गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि अनावेदक द्वारा जो बिल बनाया गया हैं एवं बिल में जो रीडिंग दर्शाई जा रही हैं, वह रीडिंग मीटर से लेकर नहीं लिखी गई जों, जो मीटर में रीडिंग(खपत) हैं, उससे कहीं ज्यादा बिल में रीडिंग (खपत) लिखकर दी जा रही हैं, जो कि गलत हैं। मेरा बिल रीडिंग 6325 एवं खपत 4205 यूनिट का निराकरण किया जावें, यही माननीय फोरम से निवेदन हैं।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत उपभोक्ता पासबुक का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि माह दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2017 तक आवेदक के परिसर में विद्युत की खपत वर्षवार लगभग एक समान हैं। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार माह मार्च 2017 में रीडिंग 1569, खपत 0 एवं आंकलित खपत 250 यूनिट हैं। इसी प्रकार माह अप्रैल में रीडिंग 1675, खपत 0 एवं आंकलित खपत 150 यूनिट, मई 2017 में रीडिंग 1800, खपत 0 एवं आंकलित खपत 200 यूनिट, माह जून 2018 में रीडिंग 1920, खपत 0 एवं आंकलित खपत 250 यूनिट, माह जुलाई 2017 में रीडिंग 6325, खपत 4205 यूनिट के देयक आवेदक को दिये गये, जिसमें जुलाई 2017 का विद्युत देयक रीडिंग 6325, एवं खपत 4205 यूनिट का जारी किया गया, जो कि विवाद का कारण बना।

इससे यह प्रतीत होता हैं कि मनमाने तरीके से उपभोक्ता की रीडिंग ली जा रही थी एवं उसी तरीके से आंकलित खपत लगाकर विद्युत बिल दिये गये, जो कि संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

अनावेदक द्वारा मीटर डायरी का एक पृष्ठ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मात्र दो रीडिंग ही दर्ज हैं एवं रीडिंग में भी ओव्हर राईटिंग की गई हैं। इसी प्रकार मीटर परिवर्तन रिपोर्ट में भी लाईनमेन की राईटिंग में पुराने मीटर की रीडिंग कहीं भी नहीं लिखी पाई गई। अलग राईटिंग में मीटर जलने के पूर्व मीटर वाचक द्वारा रीडिंग 6325 अंकित की गई हैं, जिसे फोरम कूट रचित मानता हैं।

अतः माह जुलाई 2017 में अनावेदक द्वारा आवेदक को जारी रीडिंग 6325 एवं खपत 4205 के विद्युत देयक को संदेहास्पद मानते हुए इसे निरस्त किया जाता हैं एवं अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही को भी निरस्त करता हैं।

आवेदक के परिसर में नया मीटर दिनांक 08.07.2017 को स्थापित किया गया हैं, जिसकी खपत 6 अक्टूबर 2017 तक 375 यूनिट 90 दिन में दर्ज हुई हैं, जो प्रतिमाह औसत खपत 125 यूनिट आती हैं।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदक को माह जुलाई 2017 में मीटर रीडिंग 6325 लेकर 4205 यूनिट खपत के जारी किये गये विद्युत देयक को निरस्त करें एवं माह मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर नये मीटर में दर्ज खपत तीन माह की औसत खपत 125 यूनिट प्रति माह विद्युत खपत लेकर माह मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक के विद्युत देयक संशोधित करें तथा माह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 तक नये मीटर में दर्ज खपत के अनुसार माह अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर विद्युत देयक संशोधित करें तथा उपरोक्त माहों में जारी विद्युत बिलों के भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित कर संशोधित विद्युत देयक आवेदक को जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें। अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24 / 01 / 2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1003–04 भोपाल, दिनांक 28.01.2018

प्रति,

श्री छोटे सिंह कुशवाह,
बारह बीघा, गोकुल मेरिज गार्डन के पास,
सिकन्दर कंपू, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–66 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 24 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–66 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 072/2017**

13.11.2017

श्रीशिवसिंह कुशवाहपुत्र श्री महेश सिंह कुशवाह,
सैनिक कॉलोनी, पिण्टो पार्क, प्रज्ञा स्कूल के पास, **(आवेदक)**
मुरार,ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक 25.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/72दिनॉक 13.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 08.12.17 एवं 11.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**-आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि पिछले एक वर्ष से आंकलित खपत से परेशान हूँ। पिछले पॉच माह लगभग आंकलित खपत के बिलों को प्रतिमाह ऑनलाईन कियोस्क पर जाकर जमा किये थें, परन्तु फिर पूरी रीडिंग का बिल बनाकर भेज दिया, जिसे पिछले माह आपके समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु उसका निराकरण नहीं हो सका। फिर भी मैंने आधा बिल जमा कर दिया हैं। इस माह फिर से आंकलित खपत लगाकर भेज दिया हैं। महोदय मैं आंकलित खपत का बिल नहीं

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

भरूंगा क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ। आवश्यकता पड़ी तो मैं माननीय न्यायपालिका के दरवाजे पर भी जाउंगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मेरे बिल को ठीक करें और मीटर रीडर को रीडिंग की बोलें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 6333692000 में की गई शिकायत के तारतम्य में शिकायत का अवलोकन किया जाने पर प्रकरण में एकत्रित खपत माह नवम्बर 17 को जून 17 तक बराबर–बराबर विभाजित किया जाकर एवं माह मई 17 में आई इकठ्ठी खपत को 2 माहों अर्थात 04/17 से 05/17 तक विभाजित कर आंकलित खपत हटाकर बिल सुधार दिया गया हैं। उपरोक्त सुधार के फलस्वरूप उपभोक्ता को रूपये 1705/– एवं 4768/– कुल राशि 6473/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। अतः श्रीमान जी की ओर प्रकरण में किया गया सुधार एवं वर्तमान बिल आदि संलग्न कर प्रेषित कर निवेदन हैं कि उपभोक्ता की शिकायत का पूर्ण रूपेण निराकरण किया जा चुका हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि माह अगस्त 2015 से आज तक आंकलित खपत लगा कर विद्युत बिल दिये जा रहे हैं। पॉच–छः माह बाद हटाई गई आंकलित खपत को पुनः लगाकर बिल दिये जा रहे हैं। मुझे आंकलित खपत के बिल न देकर मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार बिल दिये जायें। मेरे मीटर की रीडिंग प्रतिमाह ली जावें एवं मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार विद्युत खपत के बिल दिये जावें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक के बिल में माह मई 2017 में आई खपत 535यूनिट को दो माह में बराबर विभाजित कर बिल संशोधित कर दिया गया हैं, जिसके फलस्वरूप रूपये 1705/– को क्रेडिट दिनांक 09.06.17 को सिस्टम में दिया जा चुका हैं एवं माह नवम्बर 2017 में मीटर में दर्ज इकठ्ठी रीडिंग अनुसार खपत 1698 यूनिट को पिछले माहों में विभाजित कर जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक देयक संशोधित कर दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप रूपये 4768/– की क्रेडिट दिनांक 18.11.2017 को दे दिया गया हैं। इस प्रकार कुल रूपये 6473/– की क्रेडिट आवेदक को दे दी गई हैं। अतः आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

आवेदक ने उनकी शिकायत के निराकरण उपरांत फोरम के समक्ष कथन किया कि अनावेदक द्वारा उनकी शिकायत माह अप्रैल 2017, मई 2017 एवं जून 2017 से नवम्बर 2017 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर दिये गये हैं एवं मुझे कुल रूपये 6473/– की क्रेडिट दे दी गई हैं। जिससे मैं सहमत एवं संतुष्ट हूँ। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि अनावेदक ने आवेदक के विद्युत देयकों में माह दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2017 एवं जून 2017 से अक्टूबर 2017 तक मीटर रीडिंग न लेकर आंकलित खपत लगाकर आवेदक को विद्युत देयक जारी किये गये, जबकि आवेदक का मीटर सही हैं। यही विवाद का कारण हैं।

उपभोक्ता पासबुक के अनुसार अनावेदक द्वारा माह मई 2017 का विद्युत देयक मीटर में दर्ज रीडिंग 8445 अनुसार खपत 535 यूनिट का जारी किया है तथा माह नवम्बर 2017 में मीटर में दर्ज रीडिंग 10143 के अनुसार 1698 यूनिट खपत का विद्युत देयक जारी किया गया हैं।

माह दिसम्बर 2016 से मई 2017 तक मीटर में इकठ्ठी दर्ज खपत 535 यूनिट हैं। अतः माह दिसम्बर 2016 से मई 2017 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत 535 यूनिट को बराबर माह दिसम्बर 2016 से मई 2017 तक 6 माह में विभाजित कर प्रति माह खपत 89 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित करें।

इसी प्रकार माह जून 2017 से नवम्बर 2017 तक मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत माह नवम्बर 2017 में 1698 यूनिट को जून 2017 से नवम्बर 2017 तक 6 माह में बराबर विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत 283 यूनिट लेकर अनावेदक ने विद्युत बिल को संशोधित किया हैं, जो कि नियमानुसार हैं।

7. **फोरम का निर्णयः–**माह अप्रैल एवं मई 2017 के संशोधित विद्युत देयक को फोरम निरस्त करता हैं तथा अनावेदक को निर्देशित करता हैं कि माह दिसम्बर 2016 से मई 2017 तक मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 535 यूनिट को दिसम्बर 2016 से मई 2017 तक 6 माह में बराबर विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित करें तथा संशोधन उपरांत आवेदक को दी

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

जाने वाली क्रेडिट, पूर्व में दी गई क्रेडिट रूपये 1705/– कम करते हुए संशोधन उपरांत विद्युत देयक जारी करें तथा माह जून 2017 से नवम्बर 2017 तक के संशोधित विद्युत देयकों की क्रेडिट यथावत रहेगी।

आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें । अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 25/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 997–98 भोपाल, दिनांक 25.01.2018

प्रति,

श्री शिवसिंह कुशवाह पुत्र श्री महेश सिंह कुशवाह,
सैनिक कॉलोनी, पिण्टो पार्क, प्रज्ञा स्कूल के पास,
मुरार, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 25 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–72 / 2017) दिनांक13.11.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 25 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–72 / 2017 दिनांक 13.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 25 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

**पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 074/2017**

13.11.2017

श्रीधनीरामपाल,
282, सूर्यनगर, गल्लाकोठार, **(आवेदक)**
थाटीपुर, मुरार,ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभागपूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आजदिनांक29.01.2018कोपारितकियागया।**

1. आवेदक ने, अपनेविद्युतकनेक्शन के संबंध में यहआवेदन, विद्युतअधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहतप्रस्तुतकियाहै।

2. आवेदक के इसआवेदनकोफोरम द्वाराप्रकरणक्रमांक जी.टी/74दिनॉक 13.11.17 कोपंजीकृतकरदिनॉक08.12.17, 11.01.18 एवं12.01.18 कोसुनागया।

3. प्रकरणमेंउभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थितहोकरअपनापक्ष रखा।

4. **आवेदककाकथनः–**आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र प्रस्तुतकरकथनकियागयाकि आवेदककोमाहमार्च 2017 काजोविद्युतबिलप्राप्तहुआहैं, उसमेंआंकलित खपत 288 अंकितहैंतथाबिल की राशि 1893/– (रूपये एक हजारआठसौतेरानवें ) अंकितहैं।

2. कंपनी के नियमों के अनुसारआंकलित खपत की राशिमाफ की जातीहैं।आवेदक के मासिकबिलकईबारसेआंकलित खपत के हीप्राप्तहोरहेहैं।इसबाबत् कईबारनिवेदनभीकियाजातारहाहैं, किन्तुआंकलित खपत कम नहीं की जारहीहैं।

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

3. आवेदक के बिल क्र. 810820848043 माहमार्च 2017 की आंकलित खपतकरनेबाबत् आवेदनप्रस्तुतहैं।अतः श्रीमानजीसेनिवेदनहे।किआवेदक के घरेलूविद्युतबिल की राशि कम करने की कृपाकरें, जिससेबिल की राशिजमाकराईजासकें।

5. **अनावेदककाकथन** :–अनावेदक द्वाराकथनकियागयाकिप्रकरणक्रमांकजी.टी. 74/2017 दिनांक 13.11.2017 मेंउपभोक्ताश्री धनीरामपाल, 282, सूर्यानगरगल्लाकोठारथाटीपुर के द्वाराअपनेविद्युतसर्विसक्रमांक 8108292000 में की गईशिकायत के तारतम्य मेंनिवेदनहैंकिउपभोक्ताकामीटर खराबहोनेपरपूर्व के माहोंमेंआईवास्तविक खपत के आधारपर 344 यूनिटप्रतिमाहअनुरूपबिलिंगकीगईहैं, जिसकेतारतम्य मेंमाहअगस्त 16 सेनवम्बर 17 तककुल 16 माह की खपत 5504 की होतीहैं।जबकिऔसत खपतअनुरूपमात्र 5301 की बिलिंग की गईहैं।उपभोक्ताकामीटरबदलदियागयाहैं।आवेदक की शिकायतकानिराकरणकरदियागयाहैं।अतः प्रकरणसमाप्तकरने की कृपाकरें।

6. **फोरम द्वारा की गईसमीक्षा एवंनिर्णय** :–आवेदकश्री धनरामपाल ने दिनांक 08.12.2017 कोफोरम के समक्ष उपस्थितहोकरकथनकियाकिमेरेविद्युतबिलमेंआंकलित खपतलगाकरमाहअगस्त 2016 सेआजतक (दिसम्बर 2017 ) दियेजारहेंहैं।इससंबंध मेंमैंनेबार–बारनिवेदनकियाहैं, जिसकेबावजूदअधिकराशि के विद्युतबिलआरहेंहैंऔरकोईकार्यवाहीनहीं की जारहीहैं।मेरामीटरचेंजनहींहुआहैं।मेरेविद्युतबिलआंकलित खपत के पैटर्नअधिक के हैं, जोहरमाहआरहेंहैं।बिलों की राशिको कम कियाजावें। (अगस्त 2016 सेनवम्बर 2017के बिल) मेरेपरिसरमेंनयामीटरलगाने की भीमुझे सूचनानहींदीगईहैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथनकियाकिउपभोक्ताकामीटर खराबहोने की शिकायतपरमीटरबदलाजाचुकाहैं।मीटर खराबहोने के अवधि मेंमीटर खराबहोने के पूर्व के तीनमाह की खपतकाऔसतलेकरप्रतिमाहऔसत खपत 344 यूनिट के आधारपरआवेदककोविद्युतबिलजारीकियेगयेहैं।उपभोक्ताकामीटरबदलदियागयाहैं।उपभोक्ता की आई खपत के आधारपरनियमानुसारदेयकजारीकियेगयेहैं।प्रकरणमेंअगस्त 2016 सेनवम्बर 2017 तककुल 16 माहमें 5301 यूनिट की बिलिंग की गईहैं, जबकिऔसत 344 यूनिटप्रतिमाह खपतलेनेपर 16 माहमें 5504 यूनिट की बिलिंगहोनीचाहियेथीं।इसप्रकार कम यूनिट के बिलजारीहुए हैं, जोसहीहैं।इसप्रकारआवेदक की शिकायतकानिराकरणहोचुकाहैं।

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

प्रकरणमेंआवेदक एवंअनावेदक द्वाराफोरम के समक्ष प्रस्तुतदस्तावेजोंतथाकियेगयेकथनों की विवेचनाउपरांत यह पायागयाकिआवेदककाविद्युतमीटरमाहजुलाईबिल्डइनअगस्त 2016 में खराबहोजानेपरमाहअगस्त 2016 सेनवम्बर 2017 तकआवेदककोमीटर खराबरहने की अवधि 16 माहतकलगातारऔसत खपत के विद्युतदेयकजारीकियेगयेहैं, जोकिविद्युतप्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 (बी) के अनुसारमीटर खराबहोने की अवधि मेंउपभोक्ताको उनके मीटर खराबहोनेसेपूर्व की तीनमाह की विद्युत खपतकाऔसतप्रतिमाह खपतलेकरविद्युतदेयकजारीकियेजाने के नियम के अनुसारहैं। यहॉपरअनावेदक ने आवेदक के मीटर खराबहोने के पूर्वतीनमाह की औसत खपतलेकरप्रतिमाहअगस्त 2016 सेनवम्बर 2017 तकप्रतिमाहऔसत खपत 344 यूनिटलेकर 16 माहमेंकुल खपत 5504 यूनिटहोतीहैं, जबकिबिलिंगकुल 5297 यूनिट की कीगईहैं, जिसकीपुष्टिउपभोक्तापासबुकसेभीहोतीहैं।अतः आवेदकका यह कहनासहीनहींहैंकिउसेअधिकऔसत खपतलेकरविद्युतदेयकजारीकियेगयेहैं।

अनावेदक द्वाराआवेदककामीटरदिनांक 06.12.2017 कोबदलदियागयाहैं।इसप्रकारअनावेदक द्वाराआवेदक की शिकायतकानिराकरणकरदियागयाहैं।अतः फोरम द्वाराप्रकरणसमाप्तकियाजाताहैं। पालनप्रतिवेदनआदेशप्राप्तिदिनांकसे 15 दिवस के अन्दरफोरमकोप्रस्तुतकरें ।

दोनोंपक्षोंकोइसआदेश की प्रति, नियमानुसारनिःशुल्कभेजीजाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 29/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवंलेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)
पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1007–08 भोपाल, दिनांक 29.01.2018

प्रति,

श्री धनीरामपाल,
282, सूर्यनगर, गल्लाकोठार,
थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक29 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकीशिकायत (प्रकरण क्रमांकजी.टी.–74 / 2017)दिनांक13.11.2017 कानिराकरणविद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम, भोपाल द्वारादिनांक29 / 01 / 2018कोकियाजाचुकाहैं।फोरम द्वारापारितनिर्णय की प्रतिइसपत्र के साथसंलग्नकरनिःशुल्कप्रेषित की जारहीहैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभागपूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)–लेख हैंकिप्रकरणक्रमांकजी.टी.–78 / 2017 दिनांक 13.11.2017मेंफोरम के निर्णय दिनांक29 / 01 / 2018इसपत्र के साथसंलग्नकरआपकीओरप्रेषित की जारहीहैं।आपसेअनुरोध हैंकिफोरम द्वारापारितनिर्णय कापालनप्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांकसे 15 दिवस की अवधि मेंसंबंधितकोअवगतकरातेहुए उसकी एक प्रतिफोरमकोभीप्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 075/2017**

12.12.2017

श्रीमुन्ना लाल पुत्र श्री बाबूलाल,
बजरंगगढ़ पुलिया, सिकंदर कंपू,
लश्कर,ग्वालियर, 474011 (म.प्र) **(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 29.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/75दिनॉक 12.12.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 1. मीटर रीडर द्वारा पूर्व से ही 2016 अक्टूबर के बाद से बिल रीडिंग में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था।
2.मीटर में रीडिंग न देखते हुए अनाप–शनाप देना शुरू कर दिया। प्रति माह 200 यूनिट का बिल देना शुरू कर दिया।
3. जब कैमरे द्वारा माह अगस्त 17 में रीडिंग ली गई प्रार्थी को ज्ञात हुआ मीटर में रीडिंग कम हैं जो 20.08.2017 की रीडिंग 7000 से ऊपर हैं। बिल में 9000 से ऊपर दी जा रही हैं। जिसका प्रार्थी द्वारा बिल अनाप–शनाप भरा गया हैं।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मण्डलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

4. प्रार्थी द्वारा 22.08.17 को शिकायत दी गई, जिसका 106/22.08.17 आवक रजिस्टर पर अंकित कर दिया गया हैं। श्रीमान के कार्यालय करण्ट बिल रूपये 1355 भरा हुआ हैं, जो कि अनाप–शनाप बिल दिया जा रहा हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि आवेदन पर गौर किया जावें, जो मण्डल ने अतिरिक्त चार्ज वसूला हैं, वापिस दिलायाा जावें एवं उपभोक्ता को न्याय किया जावें।

3. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता ने अपने विद्युत मीटर के खराब होने के कारण ज्यादा दिये गये बिलों की शिकायत तथा खराब मीटर को बदलने बाबत् शिकायत दर्ज की हैं। शिकायत के निराकरण में कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता के मीटर एवं कनेक्शन का निरीक्षण मीटर निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.01.2018 को किया गाय तथा पाया गया किः–

1. मीटर खराब, बॉक्स टूटा हुआ पाया।
2. संशोधित भार 3420 वॉट।
3. मीटर वाचन 7843

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता का मीटर खराब पाये जाने के कारण विद्युत बिल संयोयित भार की गणना करने पर आई खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया हैं, जिसमें रूपये 1671/– का क्रेडिट/समायोजन कर दिया गया हैं एवं वर्तमान माह जनवरी 2018 का बिल रूपये 1389/– का पत्र के साथ (संशोधित) संलग्न हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–दिनांक 12.01.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि मेरे मीटर में मीटर रीडर को रीडिंग ठीक से दिखाई नहीं देती हैं तथा सही रीडिंग नोट न होने के कारण मुझे कभी आंकलित खपत के एवं कभी मीटर रीडिंग के बिल दिये जा रहें हैं, जबकि मीटर में रीडिंग कम दिखाई जा रही हैं एवं बिल में ज्यादा रीडिंग हैं। अतः मेरे बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाई जावें और मेरे परिसर में स्थापित मीटर भी बदला जावें तथा मेरे बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर बिलों में संशोधन किया जावें, ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल को माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित कर दिया गया हैं उपभोक्ता का खराब मीटर एक सप्ताह के अन्दर बदल दिया जाएगा। आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं, अतः प्रकरण समाप्त किया जायें।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मण्डलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक का विद्युत मीटर खराब होने के उपरांत भी मनमाने तरीके से मीटर की रीडिंग लेकर विद्युत बिल दिये जा रहे थें। जिससे व्यथित होकर आवेदक ने एक शिकायत अनावेदक कार्यालय में की थी, जिस पर अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण, उपभोक्ता की उपस्थिति में दिनांक 06.01.2018 को किया गया। जिसमें उपभोक्ता का मीटर खराब एवं मीटर का बॉक्स भी टूटा पाया गया तथा मीटर में रीडिंग 7843 पाई गई। आवेदक के परिसर का विद्युत भार 3420 वॉट पाया गया। उपभोक्ता पास बुक के अनुसार अनावेदक द्वारा लगातार मीटर में रीडिंग दर्ज कर माह अगस्त 2017 तक रीडिंग 9990 तक मीटर में दर्ज खपत दिखाकर विद्युत देयक जारी किये गये, जो कि अनावेदक द्वारा सेवा में कमी को प्रदर्शित करता हैं। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक का मीटर 11 अप्रैल 2016 को मीटर में रीडिंग 7700 एवं विद्युत खपत 200 यूनिट दर्ज हैं तथा मीटर में दिनांक 06.01.2018 को पाई गई अंतिम रीडिंग 7843 हैं। अतः आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 11 अप्रैल 2016 के बाद खराब हुआ हैं।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 कंडिका 8.35 (ब) ''ऐसे प्रकरण में जहॉ मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटि पूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटि पूर्ण पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत, मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थी, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मण्डलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगें जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।''

अतः उपरोक्त कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को माह जून 2016 से जनवरी 2018 तक की अवधि, जिसमें मीटर खराब रहा हैं, के विद्युत देयक मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह की खपत माह मई 2016, 200 यूनिट, अप्रैल 2016, 143 यूनिट एवं मार्च 2016, 106 यूनिट कुल 449/3 = 150 यूनिट औसत खपत प्रतिमाह लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जाने चाहिये तथा तथा उक्त माहों में मीटर किराया न लिया जावें।

अनावेदक द्वारा आवेदक को माह जून 2017 से जनवरी 2018 तक प्रतिमाह 150 यूनिट औसत खपत लेकर आवेदक के विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत रूपये 1617/– की क्रेडिट देकर समायोजन कर माह जनवरी 2018 का विद्युत देयक 1389/– दिया गया हैं। माह जून 2016 से मई 2017 तक 12 माह के आवेदक को जारी विद्युत देयकों की कुल खपत 1641 यूनिट के जारी किये गये हैं। जिन की प्रतिमाह औसत खपत भी लगभग 140 यूनिट प्रतिमाह हैं, जो कि न्यायसंगत एवं नियमानुसार हैं। उपरोक्त माहों में औसत खपत के विद्युत देयक जारी किये गये हैं। अतः माह जून 2016 से जनवरी 2018 तक में मीटर किराया न लिया जावें।

आवेदक का मीटर एक सप्ताह के अन्दर बदलने का आश्वासन, अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष दिया गया हैं।

पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करें। अतः प्रकरण निर्णीत होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 29/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1009–10 भोपाल, दिनांक 29.01.2018

प्रति,

श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री बाबूलाल,
बजरंगगढ़ पुलिया, सिकंदर कंपू,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 29 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–75 / 2017) दिनांक12.12.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 29 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–75 / 2017 दिनांक 12.12.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 29 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

**पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 078/2017**

12.12.2017

श्रीमतीराधादोहरेपत्नीश्रीगोविन्द सिंह दोहरे,
निचलापुरा, अजयपुररोड, कंपू,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र) **(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,(शहर संभागदक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

**आदेश**

**आजदिनांक22.01.2018कोपारितकियागया।**

1. आवेदक ने, अपनेविद्युतकनेक्शन के संबंध में यहआवेदन, विद्युतअधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहतप्रस्तुतकियाहै।

2. आवेदक के इसआवेदनकोफोरम द्वाराप्रकरणक्रमांक जी.टी/78दिनॉक 12.12.17 कोपंजीकृतकरदिनॉक12.01.18 कोसुनागया।

3. प्रकरणमेंउभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थितहोकरअपनापक्ष रखा।

4. **आवेदककाकथनः–**निवेदनहैंकिमेरेआवास के विद्युतबिलों की रीडिंगमें घारेअनियमिततताहुईहैं।बिलोंअनदेखाकरतेहएुमनमानेतरीकेसेबिलोंमेंरीडिंगदर्शायीगईहैं।कईबारविद्युतकर्मचारियोंकोमौकेपरदिखायागयाकिन्तुफिरभीविद्युतबिलोंमेंसुधारनहींकियागयाहैं।जून 2016 व सितम्बर 2016 मेंतोविद्युतबिलोंमेंरीडिंगउल्टीदर्शाकरविद्युतबिलको बढ़ाचढ़ा करभेजाहैंजबकिजुलाई 2016 मेंमीटरकाकनेक्शनविद्युतकर्मचारियों द्वारापोलसेकाटदियागयाथामीटरकनेक्शनकाटने के बादभीनवम्बर 2016 के बिलमें 300 आंकलित खपतदर्शाकरबिलभेजागयाहैं।
   वर्तमानमेंमीटर की वास्तविकरीडिंग 5006 हैं। कृपयाअनुरोध हैंकिमीटर की रीडिंग

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

चैककराकरविद्युतबिलोंकोसुधारनेकाकष्टकरें एवंवास्तविकविद्युतरीडिंगअनुसार राशिजमाकरने की अनुमतिप्रदानकरनेकाकष्टकरें।बिलों की दिसम्बर 2015 सेनवम्बर 2016 तकछायाप्रतियांसंलग्नहैं।

3. **अनावेदककाकथन** :–अनावेदकद्वारादिनांक12.01.2018कोफोरम के समक्ष लिखितकथनकियागयाकिउपभोक्ताकाकनेक्शनक्रमांक 44–45–6807862000 माहमई 2017 मेंस्थाई रूपसेविच्छेदितहोचुकाथा, किन्तुउसकीबिलिंग बंद न होपाने के कारणवर्तमानमाहतकजारीरहीं।अतः उपभोक्ताकाविद्युतबिलपत्र के साथसंलग्नकार्यालयीनटीपअनुसारसंशोधितकरदियागाय तथासंशोधितबिलमाहजनवरी 2018 का 2754/–संलग्नहैं।

4. **फोरम द्वारा की गईसमीक्षा एवंनिर्णय** :–आवेदिकाप्रतिनिधि श्रीगोविंद सिंह दोहरे ने फोरम के समक्ष उपस्थितहोकरकथनकियाकिमेराविद्युतकनेक्शनक्रमांक 44–45–6807862000, सिकन्दरकंपू, लश्कर, ग्वालियरमेंस्थितहैं।मेराजुलाई 2016 सेबिजलीकाकनेक्शन, पोलसेकटाहुआहैं, उसकेबावजूदनिरन्तरआंकलित खपत के बिलजुलाई 2016 सेआजतकदियेजारहेहैं।मेरे द्वाराकंपनीकार्यालय मेंलिखितशिकायतकरनेपरअप्रैल 2017 मेंमीटरचैककरने के लियेमीटरकोलेगयें।अप्रैल 2017 सेआजतकमेरेपरिसरमेंबिजलीकामीटरनहींलगाहैं, उसकेबादभीबिजली के बिलआंकलित खपतलगाकरदियेजारहेहैं।नवम्बर 2017 मेंमुझे रूपये 30232/–काबिलदियागयाहैं।मेरेबिलोंमेंसेआंकलित खपतहटाकरसंशोधितबिलदियेजायें।मेरेमकानमेंकोईनहींरहरहाहैं।मकान खालीपड़ाहैंतथामेरेमकानमेंनयामीटरलगायाजावें।

अनावेदकने प्रकरणमेंफोरम के समक्ष कथनकियाकिउपभोक्ता की शिकायतकाअवलोकनकरनेपरपायागयाकिउपभोक्ताकाविद्युतकनेक्शनमाहमई 2017 मेंपी.डी. सी. कियाजाचुकाहै, किन्तुकार्यालयीन त्रुटि के कारणबिलगलतीसेआजदिनांकतकजारीहोतारहाहैं।अबउपभोक्ता के उक्तकनेक्शनपर की गईफाल्सबिलिंगमाहमई 2017 के बादसेपूर्णतः हटाकरबिलसंशोधितकरदियागयाहैंतथाअंतिमबिल रूपये 2754/–कामाहजनवरी 2018 मेंजमाकियाजानाहैं, जोआवेदकको दे दियागयाहैं।इसकेबादउपभोक्ता की कोईशिकायतनहींहैं।

(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....



आवेदिकाप्रतिनिधि द्वाराफोरम के समक्षअनावेदक द्वाराउनकीशिकायत के निराकरणपरसंतुष्टिप्रकट की औरकथनकियाकिअबआगेउन्हेंकुछनहींकहनाहैं।

इसप्रकारअनावेदक द्वाराआवेदक की शिकायतकानिराकरणकरदियागयाहैं, जिससेआवेदक द्वाराभीअपनीसहमतिव्यक्त की गईहै।अतः फोरम द्वाराप्रकरणसमाप्तकियाजाताहैं।

दोनोंपक्षोंकोइसआदेश की प्रति, नियमानुसारनिःशुल्कभेजीजाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 22/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवंलेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम

(भोपाल एवंग्वालियर क्षेत्र)

पुरानापावरहाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल–ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 995–96 भोपाल, दिनांक24.01.2018

प्रति,

श्रीमतीराधादोहरेपत्नीश्रीगोविन्द सिंह दोहरे,
निचलापुरा, अजयपुररोड, कंपू,
लश्कर, ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक22 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकीशिकायत (प्रकरण क्रमांकजी.टी.–78 / 2017)दिनांक12.12.2017 कानिराकरणविद्युतउपभोक्ताशिकायतनिवारणफोरम, भोपाल द्वारादिनांक22 / 01 / 2018कोकियाजाचुकाहैं।फोरम द्वारापारितनिर्णय की प्रतिइसपत्र के साथसंलग्नकरनिःशुल्कप्रेषित की जारहीहैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभागदक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)–लेख हैंकिप्रकरणक्रमांकजी.टी.–78 / 2017 दिनांक 12.12.2017 मेंफोरम के निर्णय दिनांक22 / 01 / 2018इसपत्र के साथसंलग्नकरआपकीओरआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित की जारहीहैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 084/2017**

14.12.2017

श्री राज माथुर पुत्र श्री प्रीतम सिंह माथुर,
मिर्जापुर, घासमण्डी, **(आवेदक)**
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(केन्द्रीय शहर संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक 31.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वाराप्रकरण क्रमांक जी.टी/84दिनॉक 14.12.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.01.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**निवेदन हैं कि मैं राज माथुर अपने लाईट का बिल नियमित रूप से भर रहा हूँ। एक बार चैकिंग के दौरान लोड ज्यादा पाया गया, जिसका मैं भुगतान कर चुका हूँ। अतः जो बिल भर चुका हूँ, उसका भी बिल लगा दिया गया हैं। अतः मेरे बिल को कम करने की कृपा करें जो बिजली कनेक्शन, जो कि 08.10.17 को काट दिया गया था, उसे स्थाई रूप से काट दिया जाए, जिससे मेरा बिल न बढ़े।

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

3. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.01.2018 को फोरम के समक्ष लिखित कथन किया गया कि, सर्वप्रथम आपत्ति यह हैं कि शिकायतकर्ता का प्रकरण म.प्र. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत तैयार किया गया हैं, जो कि माननीय फोरम के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं हैं, जो कि प्रथम स्टेज पर ही निरस्त करने योग्य है। प्रकरण में बिन्दुवार उत्तर प्रतिवेदन इस प्रकार हैंः–

1. यह कि, उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2026097314 जो कि कामर्शियल उपयोग हेतु हैं, जिसका स्वीकृत भार 6000 वॉट हैं।
2. यह कि उपभोक्ता के परिसर की चैकिंग संबंधित जोन के अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2017 को करते हुए पंचनामा क्रमांक 101515/48 तैयार किया गया था, मौके पर 12880 वॉट का उपयोग पाया गया, मीटर का टर्मिनल जला हुआ पाया गया। मीटर को उपभोक्ता के समक्ष पैक कर दिनांक 19.09.2018 को उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री आशीष दोहरे के समक्ष एल.टी. एम.टी. लेब में मीटर की जॉच की गई है। मीटर परीक्षण में सही पाया गया कि मीटर का न्यूट्रल का आउटगोइंग टर्मिनल जला पाया गया।
3. यह कि कंपनी द्वारा मीटर एल.टी. एम.टी. रिपोर्ट अनुसार एवं स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने के कारण धारा 126 के तहत राशि रूपये 3,32,331/– का अंतरिम निर्धारण आदेश दिनांक 04.10.2017 जारी किया गया हैं।
4. यह कि उपभोक्ता द्वारा अंतरिम निर्धारण आदेश दिनां 04.10.2017 के विरूद्ध प्रकरण अपीलीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदन दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत किया गया।
5. यह कि उपभोक्ता के प्रकरण को अपीलीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कम्पनी नियमानुसार बिल की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु कार्यालय का पत्र क्रमांक 3431 दिनांक 13.10.2017 को जारी किया गया, लेकिन उपभोक्ता द्वारा चैकिंग बिल की राशि का 20 प्रतिशत आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया हैं, जिससे प्रकरण कर्मटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें। इस प्रकार कार्यालय द्वारा कंपनी नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा 126 के तहत राशि रूपये 332331/– का देयक जारी किया गया हैं, जो कि सही उचित प्रतीत होता हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत फोरम में प्रचलन योग्य न होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं। अतः शिकायत निरस्त करने का कष्ट करें।

(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :**–दिनांक 12.01.2018 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरे परिसर में जो विद्युत लोड पाया गया, वह मेरे हिसाब से सही नहीं हैं। चैकिंग में लोड अधिक बताकर प्रकरण बनाया गया हैं, जबकि विद्युत भार इतना नहीं हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मुझे न्याय दिलाते हुए प्रकरण का निराकरण किया जावें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि विद्युत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आवेदक के विद्युत परिसर को चैक करने पर स्वीकृत विद्युत भार 6.00 किलोवॉट से अधिक 12880 किलोवाट पाया गया। उपभोक्ता का व्यावसायिक कनेक्शन हैं। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत उपभोक्ता का प्रकरण तैयार किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया माननीय फोरम के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं हैं, जो कि प्रथम स्तर पर ही निरस्त करने योग्य हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण धारा 126 के तहत होने के कारण निरस्त कर निर्णय देने का कष्ट करें।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक की शिकायत दिनांक 18.09.2017 को अनावेदक कंपनी द्वारा आवेदक के व्यावसायिक विद्युत परिसर की चैकिंग के दौरान स्वीकृत भार 6 किलोवॉट से अधिक विद्युत भार 12.88 किलोवॉट पाया गया था। जिस कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत पंचनामा क्रमांक 101515/48 बनाया गया एवं पाई गई अनियमितता के तहत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु अंतरिम निर्धारण का आदेश विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत रूपये 332331/– का जारी हुआ हैं, से संबंधित शिकायत आवेदक ने फोरम के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल)(पुनरीक्षण प्रथम) नियम 2009 के अध्याय 2 बी कण्डिका 2.4(के) के अनुसार फोरम (Forum) से अभिप्रेत हैं, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जिसे अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (15) के अनुसरण में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित किया गया हैं।

(एम) शिकायत(Grievance ) से अभिप्रेत हैं कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कि उपभोक्ता की शिकायत को पंजीकृत करने अथवा उसका निराकरण न करने में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ता की असंतुष्टि तथा इसमें सम्मिलित होगा, किसी शिकायत के

संबंध में उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य कोई विवाद अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में अथवा अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही तथापित अधिनियम के निम्न उपबंधों के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय इन विनियमों के अन्तर्गत शिकायत नहीं मानी जाएंगे।

(I) विद्युत का अनाधिकृत उपयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत प्रावधानित किया गया हैं।

(II) अपराध तथा अर्थदण्ड जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 के अन्तर्गत प्रावधानित किया गया हैं।

(III) विद्युत के वितरण, प्रदाय अथवा उपयोग में किसी दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति जैसा कि अधिनियम की धारा 161 के अन्तर्गत प्रावधानित किया गया हैं।

(IV) बकाया राशि की वसूली, जहॉ बिल की गई राशि विवादित न हों।

अतः उपरोक्त विद्युत विनियमन 2009 के तहत परिभाषित के अनुसार विद्युत का अनाधिकृत उपयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत प्रावधानित किया गया हैं, जो कि शिकायत नहीं मानी जायेगी। अतः आवेदक की शिकायत भी विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रावधानित हैं जिसे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को सुनने का अधिकार नहीं हैं।

आवेदक के प्रकरण को फोरम द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के तहत सुनने अथवा कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं हैं। अतः आवेदक अन्य किसी उचित मंच पर अपनी शिकायत के संबंध में अपील करने के लिये स्वतंत्र हैं।

प्रकरणनिराकृत कर समाप्त किया जाता हैं।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 31/01/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया)(एस.एस. मंडलोई)**
**सदस्य(अभियांत्रिकी)**

**(राजीव अग्रवाल)सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**
**अध्यक्ष**

# उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 1016–17 भोपाल, दिनांक 31.01.2018

प्रति,

श्री राज माथुर पुत्र श्री प्रीतम सिंह माथुर,
मिर्जापुर, घासमण्डी,
ग्वालियर, 474011 (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 31 / 01 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–84 / 2017) दिनांक14.12.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 31 / 01 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(केन्द्रीय संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–84 / 2017 दिनांक 14.12.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 31 / 01 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 932–33 भोपाल, दिनांक 15 / 01 / 2018

प्रति,
श्री इब्राहिम खॉ पुत्र श्री नन्ने खॉ,
निवासी वार्ड क्रमांक–5, लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-15/2017दिनॉक 15.09.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-15/2017दिनॉक 15.09.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 09.01.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि गंजबसौदा। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–15 / 2017 दिनांक 15.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 09.01.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/15/2017**

15.09.2017

श्री इब्राहिम खॉ पुत्र श्री नन्ने खॉ,
निवासी वार्ड क्रमांक–5, लटेरी , (आवेदक)
जिला विदिशा (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,(सं./सं.),संभाग(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,गंजबसौदा। (म.प्र.)

## आदेश

**आज दिनांक09.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/15दिनॉक 15.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.10.2017, 30.10.2017, 20.11.2017, 12.12.2017 एवं 03.01.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन** :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किआवेदक आवेदक की ओर से आवेदन निम्न प्रकार हैः–

   1. अनावेदक द्वारा आवेदक को एक बत्ती कनेक्शन प्रदाय किया। किन्तु सर्विस क्रमांक 032492–71–32–00005684 बिल क्रमांक 01463 दिनांक 05.02.2010 राशि रू 805/– जमा राशि 400/– रूपये दिनांक 25.03.2010 कराई गई बिल क्रमांक 1581 दिनांक 08.10.2012 राशि रू. 2858 जमा राशि 1000/– रू. दिनांक 23.01.2012 जमा कराई गई बिल क्रमांक 1548 दिनांक 11.04.2012 राशि रू. 200/– जमा कराये गये।
   2. उक्त राशियां जमा कराकर आवेदक का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया तब से प्रार्थी द्वारा बिजली का किसी भी प्रकार का उपयोग नही किया गया एवं बिल दिनांक 01.01.2017 राशि रू. 43287/– का बिल प्रार्थी को सौपा गया है जो अत्यधिक जोखिम पूर्ण है। इसका भुगतान करना किसी किसी भी प्रकार से संभव नही है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

प्रार्थी गरीब मजदूर भूमिहीन व्यक्ति है। उक्त मकान में पूर्व से गिर जाने के कारण किराये से निवासरत है एवं आवेदन दिनांक 15.05.2017 को अनावेदक को प्रसारित कर दिया जिसकी रसीद संलग्न है अभी तक कोई निराकरण नही हुआ है जबकि जबरन वसूली के बिल थमाये जाते रहे है। इसलिये इन बिलो को निरस्त किया जाये, जबरन वसूली रोकी जाये।

3. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक/शिकायतकर्ता श्री इब्राहीम खॉ पुत्र श्री नन्हे खॉ निबासी वार्ड क्रमांक 05 मडैयापुरा लटेरी जिला विदिशा द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम में शिकायत प्रस्तुत की है। आवेदक/शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी लाईन कटी होने के कारण भी उसे बिल प्रदान किये जा रहे एवं विद्युत संयोजन रिकार्ड में नही काटा जा रहा है।

उपरोक्त संदर्भ में माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल के समक्ष प्रतिवेदन जानकारी सादर प्रस्तुत है।

आवेदक/शिकायतकर्ता श्री इब्राहीम खॉ पुत्र श्री नन्हे खॉ निबासी वार्ड क्रमांक 05 मडैयापुरा लटेरी जिला विदिशा म.प्र. द्वारा उक्तानुसार उनके घरेलू कनेक्शन क्रमांक 2625420–52–14–4208194000 के विद्युत देयक वर्तमान राशि अगस्त–सितम्बर 2017 में राशि रू. 45090/– है।

आवेदक/शिकायतकर्ता श्री इब्राहीम खॉ पुत्र श्री नन्हे खॉसर्विस क्रमांक 2625420–52–14–4208194000 शिकायतकर्ता आवेदक के नाम से है, का उपयोग घरेलू प्रकाश हेतु नही किया गया तथा पदस्थ फीडर प्रभारी श्री इबादुल्ला पठान सीनीयर लाईन सहायक द्वारा भी मौका निरीक्षण में बिजली का उपयोग नही किया जाना प्रदर्शित किया है। मौका–परिस्थिति साक्ष्य अनुसार यह सिद्ध नही होता है कि आवेदक/शिकायतकर्ता श्री इब्राहीम खॉ/नन्हे खान वार्ड क्रं. 05 मडैयापुरा के द्वारा बिजली का उपयोग किया गया हो।

वर्तमान देयक राशि रू.45090/– माह सितम्बर 2017 में विद्यमान है। जो प्रभारी अधिकारी एवं सहायक यंत्री महोदय सिरोंज की छूट सीमा के आधार पर छूट सीमा क्रमशः 5000,20000 की है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण देयक राशि रू.45090 की मॉफी हेतु श्रीमान उपमहाप्रबंधक महोदय (सं./सं.) गंजबसौदा को विधि–सम्मत संज्ञान में लाई जाकर उपरोक्त देयक की सम्पूर्ण राशि रू.45090 की मांफी दी जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। इसी हेतु आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा इस विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से समाप्त किये जाने की मांग विगत वर्षो में समय–समय में मांग की गई है। जो श्रीमान उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) गंजबासौदा की अनुशंसा पर सम्पूर्ण देयक राशि माफी एवं घरेलू विद्युत संयोजन को विधिवत् स्थाई रूप से समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

यह उल्लेखनीय है कि आवेदक/शिकायतकर्ता श्री इब्राहीम खॉ पुत्र श्री नन्हे खॉ निबासी वार्ड क्रमांक 05 मडैयापुरा लटेरी अति पिछडा वर्ग में है। जिसका प्रमाण इनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत नही किया है।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

वर्तमान प्रचलित फोरम प्रकरण बी.टी–15/2017 जो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में विचाराधीन है जिसमें माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम भोपाल द्वारा पारित निर्णय सर्वोपरि होकर दोनो ही पक्षो को मान्य होगा।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक श्री इब्राहीम खां द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.10.2017 को फोरम के समक्ष कथन किया कि मैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करता हूॅ। मेरे द्वारा एक बत्ती कनेक्शन लगभग वर्ष 2010 में लिया गया था। जिसका मेरे द्वारा 23 जनवरी 2012 को रूपये 1000/– बिजली विभाग, लटेरी में जमा किये थें। मेरे द्वारा जमा किये गये बिल की रसीद की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न हैं। इसके बाद मेरा मकान कच्चा होने के कारण गिर गया था, जो आज दिनांक तक भी टूटा पड़ा हैं। मेरे घर का कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा काटकर लाईन आदि निकाल ली गई थीं। मकान टूटा होने के कारण 2012 से उसमें कोई निवास नहीं करता हैं। तभी से मैं अपना जीवन–यापन मस्जिद व मदरसों में रहकर कर रहा हूॅ एवं सड़क किनारे स्थित डिवाईडर पर तंबू लगाकर सोता हूॅ। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं हैं एवं मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब हैं। मैं मेहनत–मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करता हूॅ। मेरे परिवार में एकमात्र बच्ची हैं, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने के कारण उसका तलाक हो चुका हैं। वह भी अलग मकान में किराये से रहती हैं। वर्ष 2012 से लाईन कटी होने के बाद भी मुझे माह सितम्बर 2017 में राशि रूपये 47090/– का बिजली का बिल दिया गया हैं।

अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि मेरी आर्थिक परिस्थितियों एवं दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी बिल राशि रूपये 47090/– को निरस्त करने का कष्ट करें।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री विजय कुमार व्यास, कनिष्ठ यंत्री ग्रामीण, लटेरीद्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक की लाईन कटी होने के कारण भी उसे बिल प्रदान किये जा रहे हैं एवं विद्यत संयोजन रिकार्ड में नहीं काटा जा रहा हैं। आवेदक के घरेलू कनेक्शन क्र. 54–14–4208194000 के विद्युत देयक के विरूद्ध वर्तमान राशि रूपये 45090/– बकाया हैं। उक्त कनेक्शन को आवेदक द्वारा घरेलू प्रकाश नहीं लिया गया हैं तथा पदस्थ फीडर प्रभारी श्री इबादुल्ला पठान, सीनियर लाईन सहायक द्वारा भी स्थल मौका निरीक्षण में बिजली का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया हैं। मौका परिस्थिति साक्ष्य अनुसार यह सिद्ध नहीं होता हैं कि आवेदक श्री इब्राहीम खां द्वारा बिजली का उपयोग किया गया हों।

आवेदक की माह सितम्बर 2017 में देय राशि रूपये 45090/– विद्यमान हैं, जो प्रभारी अधिकारी एवं सहायक यंत्री सिरोंज की छूट सीमा के आधार पर छूट सीमा क्रमशः राशि रूपये 5000/–, 20,000/– की हैं। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण देयक राशि रूपये 45090/– की

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

माफी (False Demand Withdrawal) हेतु उप महाप्रबंधक(संचा./संधा.) गंजबासौदा को विधि सम्मत संज्ञान में लाई जाकर उपरोक्त देयक की सम्पूर्ण राशि रूपये 45090/– की मांग को माफी (False Demand Withdrawal) दी जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही हैं। इस हेतु आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से समाप्त किये जाने की मांग विगत वर्षों में समय समय पर की जाती रही हैं। अतः श्रीमान उपमहाप्रबंधक (संचा./संधा.) गंजबासौदा की अनुशंसा पर सम्पूर्ण देयक राशि एवं घरेलू विद्युत संयोजन को विधिवत स्थायी रूप से समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देश दिये गये कि कनेक्शन विच्छेदित किये जाने की दिनांक से (False Demand Withdrawal) एवं विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किये जाने के प्रमाण के साथ आगामी तिथि को फोरम के समक्ष उपस्थित हों।

आवेदक द्वारा अपनी शिकायत स्पष्ट रूप से फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात फोरम द्वारा आवेदक की उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये उसे फोरम की आगामी तिथियों उपस्थिति से मुक्त रखा गया।

फोरम की विभिन्न तिथियों में सुनवाई पश्चात अनावेदक द्वारा दिनांक 03.01.2018 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक/शिकायतकर्त्ता श्री इब्राहिम खान, लटेरी जिला विदिशा की शिकायत के निराकरण में माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के निर्देशानुसार आवेदक का घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया हैं तथा पूर्व की बकाया राशि रूपये 45090/– की पूर्ण माफी की अभिस्वीकृति क्रमांक 01 दिनांक 20.12.2017 द्वारा प्राप्त कर आवेदक की पूर्ण राशि रूपये 45090/– को समाप्त कर दिया गया हैं। आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

अनावेदक की ओर से प्रकरण में फोरम के समक्ष उपस्थित कनिष्ठ यंत्री/सहायक प्रबंधक लटेरी श्री विजय कुमार व्यास द्वारा किये गये कथनानुसार चूकिं अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन के देयक की फाल्स डिमांड की राशि रू.45090/– को पूर्ण रूप से हटाकर आवेदक का घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है तथा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः फोरम द्वारा प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 09.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 934–35 भोपाल, दिनांक 16 / 01 / 2018

प्रति,
श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल,
ग्राम जोशीपुरा, लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-19/2017दिनॉक 03.10.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-19/2017दिनॉक 03.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 09.01.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि गंजबसौदा। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–19 / 2017 दिनांक 03.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 09.01.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/19/2017**

03.10.2017

श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल,(आवेदक)
ग्राम जोशीपुरा, लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,(सं./सं.),संभाग(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,गंजबसौदा। (म.प्र.)

## आदेश

**आज दिनांक09.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/19दिनॉक 03.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 07.10.2017, 30.10.2017, 20.11.2017, 12.12.2017 एवं 03.01.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किआवेदक के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन है जिसका सर्विस क्रमाक 2625420–54–21–8267 है। माह फरवरी 2017 के बिल में वास्तविक रीडिंग 22.9 यूनिट थी, जबकि मुझे जो बिल दिया गया है, वह 229 यूनिट का बिल दिया गया है। इस हिसाब से मुझे 206 यूनिट का बिल अधिक दिया गया है, जिसकी छूट प्रदान की जाने हेतु माननीय फोरम से अनुरोध है। माह मार्च 2017, अप्रैल 2017, मई 2017, जून 2017 एवं जुलाई 2017 में मेरी रीडिंग नही ली गई एवं न ही उक्त अवधि के बिल ही दिये गये। मेरे द्वारा जुलाई 2017 में अनावेदक कंपनी के कार्यालय में सम्पर्क करने पर मुझे बताया गया कि कुछ बिल सिस्टम में उलझ गये है, अगले माह आपको बिल प्राप्त हो जायेगा। माह अगस्त 2017 में मुझे 524 यूनिट का बिल दिया गया। मुझे जो माह अगस्त 2017 में बिल दिया गया है, वह एक माह ही खपत का नही है। उसको जिस माह में मुझे बिल नही दिये गये है, उसे विगत माह की खपत में विभाजित कर संशोधित बिल दिया जावे। यही मेरा माननीय फोरम से निवेदन है।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

**5. अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक/शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार पुत्र कोमल प्रसाद अग्रवाल जोशीपुरा लटेरी जिला विदिशा की शिकायत के निराकरण में माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल में माननीय फोरम के आदेशानुसार उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता/आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र कोमल प्रसाद अग्रवाल के विद्युत कनेक्शन 2625420–54–21–8267 का त्रुटिपूर्ण मीटर को माह जनवरी में बदला गया था। के अधिक रीडिंग दर्ज होने पर उपभोक्ता द्वारा लोकल वायरमेन से मिलकर सर्विस लाईन के साथ छेड़छाड पाये जाने पर पुनः विद्युत कनेक्शन को दुरूस्त कराया गया। जिसमें सी.सी.एन.बी. प्रणाली लागू होने के कारण 524 यूनिट की खपत का विद्युत देयक उपभोक्ता को प्रदाया किया गया था। जिसका प्रतिमाह खपत अनुसार अलग–अलग माहों का विद्युत देयक पत्रक की उपमहाप्रबंधक महोदय की अभिस्वीकृति प्राप्त होने पश्चात मान.फोरम को आगामी सुनवाई दिनांक को सादर अवगत किया जावेगा।

माह अगस्त 2017 मे एक साथ लिये गये 524 यूनिट को माह जून से अगस्त 2017 में क्रमाशः 212 यूनिट, 192 यूनिट, 120 यूनिट इस प्रकार तीन माहों में विभक्त करके जिसमें 368/– रू. का लाभ उक्त उपभोक्ता को प्राप्त हो रहा है, आवेदक/शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार पुत्र कोमल प्रसाद अग्रवाल सर्विस क्रमांक 2625420–54–21–8181884111 का गणना पत्रक तैयार करके योग्य अभिस्वीकृति श्रीमान प्रबंधक महोदय सिरोंज के द्वारा दिनांक 01.01.2018 को प्राप्त कर ली गई है। गणना पत्रक संलग्न है।

दिनांक 12.12.2017 में निम्न हस्तारकर्ता के फोरम में उपस्थित होने पर मान.फोरम द्वारा उपभोक्ता की उस दिनांक 12.12.2017 के जबावदावा की कॉपी श्रीमान अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कोमल प्रसाद अग्रवालजोशीपुरा लटेरी जिला विदिशा से उनके हस्ताक्षर करबाकर फोरम के समक्ष दिया जाना था। श्री अशोक कुमार अग्रवाल उनके प्रतिनिधि लटेरी में उपस्थित नही होने से उनके हस्ताक्षर नही हो सके।

वर्तमान प्रचलित फोरम क्रं. बी.टी.–19/2017 दिनांक 03.10.2017 उपभोक्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल सर्विस क्रमांक 2625420–54–21–8181884111 जो मान. फोरम के समक्ष विचारण किया जा रहा है फोरम द्वारा पारित अंतिम निर्णय सर्वोपारि होकर दोनों की पंक्षो को विधिमान्य होगा।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक की ओर से दिनांक 30.10.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल द्वारा प्रकरण में कथन किया कि माह फरवरी 2017 के बिल में वास्तविक रीडिंग 22.9 यूनिट थीं, जबकि मुझे जो बिल दिया गया हैं, वह

229 यूनिट का बिल दिया गया हैं। इस हिसाब से मुझे 206 यूनिट का अधिक बिल दिया गया हैं, जिसकी छूट प्रदान की जाने हेतु माननीय फोरम से अनुरोध हैं। माह मार्च 2017, अप्रैल 2017, मई 2017, जून 2017 एवं जुलाई 2017 में मेरी रीडिंग नहीं ली गई एवं न ही उक्त अवधि के बिल ही दिये गये। मेरे द्वारा जुलाई 2017 में अनावेदक कंपनी के कार्यालय में सम्पर्क करने पर मुझे बताया गया कि कुछ बिल सिस्टम में उलझ गये हैं, अगले माह आपको बिल प्राप्त हो जायेगा। माह अगस्त 2017 में मुझे 524 यूनिट का बिल दिया गया। मुझे जो माह अगस्त 2017 में बिल दिया गया हैं, वह एक माह की खपत का नहीं हैं। उसको जिस माह में मुझे बिल नहीं दिये गये हैं, उसे विगत माह की खपत में विभाजित कर संशोधित बिल दिया जायें। यही मेरा माननीय फोरम से निवेदन हैं।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री विजय कुमार व्यास, कनिष्ठ यंत्री, ग्रामीण वितरण केन्द्र लटेरी द्वारा प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल निवासी जोशीपुरा लटेरी का सर्विस कनेक्शन क्रमांक 324920–54–21–8267 का त्रुटिपूर्ण मीटर दिनांक 23.01.2017 को बदला गया था। जिसमें वितरण केन्द्र लटेरी में बिलिंग प्रणाली आर.एम.एस. से सी.सी.एन.बी. हो जाने पर मीटर रीडिंग के अनुसार विद्युत देयक त्रुटिवश प्रदाय किये गये थे, जो कि संज्ञान में लाये जाने/आने पर उन देयक में आवश्यक सुधार कर क्रेडिट कर दी गई थी। जो जुलाई –अगस्त 2017 के देयक में एक मुश्त रीडिंग 524 यूनिट खपत का देयक प्रदाय किया गया था। जिसकों प्रतिमाह खपत अनुसार अलग–अलग माहों में सी.सी.एन.बी. प्रणाली में सुधार न होने से प्रदाय किये बिलों में सुधार की कार्यवाही की जा रही है।

फोरम द्वारा अनावेदक को निदेर्शित किया गया है कि आवेदक की शिकायत का निराकरण संबंधी दस्तावेज आगामी दिनांक को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.12.2017 को आवेदक के विद्युत कनेक्शन से संबधित मीटर रीडिंग डायरी की छायाप्रति एवं अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर कथन किया कि शिकायतकर्त्ता/आवेदक श्री अशोक कुमार अग्रवाल/श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल के विद्युत कनेक्शन स. क्र. 2625420–54–21–8267 के त्रुटिपूर्ण मीटर को जो माह जनवरी में बदला गया था, में अधिक रीडिंग दर्ज होने पर उपभोक्ता द्वारा लोकल वायरमेन से मिलकर सर्विस लाईन के साथ छेड़छाड़ पाये जाने पर पुनः विद्युत कनेक्शन को दुरूस्त कराया गया। उपभोक्ता को सीसीएनबी प्रणाली लागू होने के कारण 524 यूनिट की खपत का माह अगस्त 2017 में विद्युत देयक प्रदाय किया गया था, जिसका प्रतिमाह खपत अनुसार अलग–अलग माहों के संशोधित विद्युत देयक पत्रक की उप महाप्रबंधक महोदय की अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर माननीय फोरम को आगामी सुनवाई दिनांक को सादर अवगत किया जावेगा।

अनावेदक द्वारा दिनांक 03.01.2018 को प्रकरण में कथन किया कि आवेदक/शिकायतकर्त्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल जोशीपुरा, लटेरी जिला विदिशा की शिकायत के निराकरण में माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के निर्देशानुसार

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

आवेदक के सर्विस क्रमांक 2625420–54–21–8181884111 की माह अगस्त 2017 में एक साथ ली गयी 524 यूनिटों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2017 में ली गयी वास्तविक रीडिंग 212, 192 एवं 120 यूनिट के आधार पर तीन माहों में बिलिंग विभाजित कर संशोधित करते हुये गणना पत्रक तैयार कर अभिस्वीकृति प्रबंधक महोदय, सिरोंज से दिनांक 01.01.2018 को प्राप्त कर ली गई हैं। तथा आवेदक को राशि रू. 368/– की क्रेडिट दी जा चुकी हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं किये गये कथन अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक को माह अगस्त 2017 में दिये गये इक्ट्ठी खपत 524 यूनिट के बिल को माह जून, जुलाई एवं अगस्त में ली गयी वास्तविक रीडिंग के अनुसार विभक्त कर बिलिंग संशोधित कर राशि रू.368/– की क्रेडिट दी जाकर आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया। अतः फोरम द्वारा प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 09.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 916–17 भोपाल, दिनांक 05 / 01 / 2018

प्रति,
श्री नरेन्द्र कुमार मेश्राम,
डी–सेक्टर, इन्द्रबिहार कालोनी,
एयरपोर्ट रोड़ भोपाल।(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-23/2017दिनॉक 21.10.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-23/2017दिनॉक 21.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 03.01.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–23 / 2017 दिनांक 21.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 03.01.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/23/2017**

21.10.2017

श्री नरेन्द्र कुमार मेश्राम,
डी–सेक्टर, इन्द्रबिहार कालोनी, (आवेदक)
एयरपोर्ट भोपाल। (म.प्र.)
विरुद्ध
उपमहाप्रबंधक,शहर संभाग (उत्तर),(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक03.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/23दिनॉक 21.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 06.11.2017, 28.11.2017 एवं 13.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन** :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किआवेदक ने नए घर में नया विद्युत मीटर माह मार्च/अप्रैल 2017 में लगाया जिसके बिल मुझे निम्नानुसार प्राप्त हुए है।
   माह अप्रैल 2017 में, .....ऐवरेज बिल (बिल प्राप्ति माह सितम्बर 2017)
   माह मई से अगस्त 2017 में, .....3346 यूनिट्स
   माह सितम्बर 2017 ..... 3531यूनिट्स
   इसका मतलब एक माह में 185 यूनिट्स बिजली खपत हुई है जो कि मेरे घर में उपयोग होने वाले बिजली के उपकरणों के मान से सही है। इस यह ज्ञात होता है कि विद्युत मीटर सही चल रहा है मगर संभवतः शुरूआती वाचन शून्य नही था। जिसका हमसे सत्यापन भी नही करवाया गया था। रू.28551/– (संशोधित रू.27048/–) का बिल किसी भी सूरत में मेरे घर में संभव नही है।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अतः निवेदन है कि मुझे मेरे घर में एक माह में होने वाली विद्युत खपत को आधार मानकर मुझे आज तक नया बिल प्रदान किया जाए तथा वर्तमान वाचन से आगे के लिए प्रदान किए जाए जो कि मै समय से भुगतान कर सकू।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 6.11.2017 का उत्तर माननीय फोरम के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार मेश्राम का इनर्जी मीटर दिनांक 11.02.2017 को स्थापित किया गया, जिसकी उपभोक्ता आई.डी. 1593685747 है। आवेदक ने 3 किलोवॉट का भार स्वीकृत कराया गया है।
2. आवेदक का यह कहना है, कि दिनांक 11.02.2017 को स्थापित मीटर क्रमांक 321001 की प्रारंभिक रीडिंग अधिक थी, यह गतल है, क्योकिं नवीन विद्युत संयोजन संभाग गोविन्दपुरा के द्वारा प्रारंभिक रीडिंग 7 पर मीटर बनाया गया, जिसकी एन.एस.सी. आर–3 की सत्यापित प्रति, आपके सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।
3. आवेदक को माह सितम्बर 2017 में 3326 यूनिट खपत का एवं माह अक्टूबर 2017 में 185 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया।

माह अक्टूबर 2017 के बिल को उपभोक्ता ने सही माना है, एवं मीटर की कार्यशैली का सही होना स्वीकार किया है। माह अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता को कनेक्शन दिनांक से स्लैब कर उपभोक्ता के खाते में सी.सी.बी. रजिस्टर से 1493/– रू. की क्रेडिट दी गयी है, जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है।

माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध है, कि शिकायत न तो तथ्यों पर आधारित है, तथा न ही साक्ष्य पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा दिनांक 06.11.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मेरे आवास पर माह 11 फरवरी 2017 में एन.एस.सी. डिवीजन द्वारा मीटर स्थापित किया गया था। मीटर स्थापित करते समय मैं वहॉ पर उपस्थित नहीं था एवं अनावेदक द्वारा मेरी अनुपस्थिति में मीटर स्थापित कर दिया गया था। मेरे द्वारा उक्त आवास का आधिपत्य माह मई 2017 में बिल्डर से लेकर मई 2017 से रहना शुरू किया गया हैं एवं

तभी से विद्युत का उपयोग हो रहा हैं। उससे पूर्व बिजली का उपयोग मेरे द्वारा नहीं कियागया हैं। माह अगस्त 2017 में 0 खपत का बिल राशि रूपये 694/– का जारी किया गया था, जो कि मेरे द्वारा जमा कर दिया गया था। माह सितम्बर 2017 में अचानक 3326 यूनिट खपत का बिल राशि रूपये 28542/– जारी किया गया। मेरे द्वारा इस पर आपत्ति लेने पर राशि रूपये 1493/– की क्रेडिट देते हुए राशि रूपये 27048/– का बिल कर दिया गया। माह अक्टूबर 2017 में पुनः 185 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया, जो कि सही हैं। जिसमें पूर्व की अवशेष राशि दर्शाते हुए 28790/– रूपये का बिल जारी किया गया हैं।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि मुझे माह सितम्बर 2017 में इकठ्ठी खपत 3326 यूनिट के राशि रूपये 28542/– के बिल में सुधार करते हुए संशोधित बिल जारी किया जायें, जिससे कि मैं अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक की ओर से श्री बी.बी.तिवारी, सहायक यंत्री इन्द्रविहार जोन, भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया किः–

1. आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार मैश्राम का इनर्जी मीटर दिनांक 11.02.2017 को स्थापित किया गया, जिसकी उपभोक्ता आई.डी. 1593685747 है। आवेदक ने 3 किलोवॉट भार स्वीकृत कराया गया है।
2. आवेदक का यह कहना है कि दिनांक 11.02.2017 को स्थापित मीटर क्रमांक 321001 की प्रारंभिक रीडिंग अधिक थी, यह गलत है, क्योकिं नवीन विद्युत संयोजन संभाग गोविन्दपुरा के द्वारा प्रारंभिक रीडिंग 07 पर लगाया गया , जिसकी एन.एस.सी. आर–3 की सत्यापित प्रति आपके सुलर्भ संदर्भ हेतु प्रेषित है।
3. आवेदक को माह सितम्बर 2017 में 3326 यूनिट खपत का एवं माह अक्टूबर 2017 में 185 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया। माह अक्टूबर 2017 के बिल को उपभोक्ता ने सही माना, एवं मीटर की कार्यशैली का सही होना स्वीकार किया है। माह अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता कनेक्शन दिनांक से स्लैब कर उपभोक्ता के खाते में सी.सी.बी. रजिस्टर से रू.1493/– की क्रेडिट दी गई है, जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है।

माननीय फोरम के समक्ष वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध है कि शिकायत न तथ्यों पर आधारित है, तथा न ही साक्ष्य पर आधारित होने से शिकायत निरस्त करने योग्य है।

अनावेदक द्वारा दिनांक 28.11.2017 को प्रकरण में कथन कर बताया गया कि माननीय फोरम के निर्देश पर उपभोक्ता परीसर का निरीक्षण रिपोर्ट क्र. 4248/07 दिनांक 23.11.2017 द्वारा किया गया, जिसमें स्वीकृत भार 3000 वॉट के स्थान पर 4073 वॉट पाया गया, जो कि आवेदक ने स्वयं बताया। अतः भार अधिक पाया गया।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर मेक विजनटेक क्र. 00321001 की कार्यप्रणाली की जॉच में कार्यप्रणाली सही पाई गई, जिसे उपभोक्ता ने स्वयं अपने आवेदनपत्र में भी स्वीकार किया हैं। उक्त मीटर में रिकार्ड पिछले माह 6 माह की रीडिंगों का उल्लेख हैं, जैसा कि उपभोक्ता के परिसर में विद्युत मीटर 11.02.2017 को एस.आर. 07 पर स्थापित किया गया हैं, जो कि एन.एस.सी. शहर वृत्त, भोपाल द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी एस.आर. का वाचन सहीं हैं, क्योंकि एन.एस.सी. में नवीन मीटर स्टोर से प्राप्त कर स्थापित किया गया जिसकी एस.आर. वाचन सही हैं, क्योंकि एन.एस.सी. में नवीन मीटर स्टोर से प्राप्त कर स्थापित किया जाता हैं। जैसा कि आवेदक द्वारा पजेशन लेटर दिनांक 01.05.2017 को आवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित हैं। जिसमें शपथ पत्र पर नोटरी की सील भी हैं। आवेदक की मांग पर ही परिसर में नवीन विद्युत कनेक्शन 11.02.17 को स्थापित किया गया। मीटर में रिकार्ड दिनांक 01.06.17 की रीडिंग 616 हैं, जो कि स्वयं सिद्ध करती हैं कि उक्त मीटर का शुरूआती वाचन सही था, क्योंकि उक्त परिसर में दिनांक 11.02.2017 से दिनांक 01.06.17 तक, जिसमें पजेशन पत्र से भी सिद्ध होता हैं कि आवेदक का माह मई में निवास भी हैं। अतः आवेदक का शुरूआती वाचन के संबंध में कुछ भी कहना असत्य एवं निराधार हैं।

मीटर में क्रमशः पिछले 6 माहों की रीडिंग 616 दिनांक 01.06.17, 895 दिनांक 01.07.17, 3294 दिनांक 01.09.17, 3514 दिनांक 01.10.17, 3696 दिनांक 01.11.17 पाई गई, जो आवेदक के समक्ष दर्ज की गई। निरीक्षण दिनांक 23.11.17 को मीटर में 3787 रीडिंग पाई गई। अतः उक्त निरीक्षण रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट होता हैं कि आवेदक द्वारा की गई शिकायत, साक्ष्यों/तथ्यों पर आधारित न होने से निरस्ती योग्य हैं।

नवीन संयोजन संभाग की ओर से उपस्थित कुमारी हर्षा यादव, कनिष्ठ यंत्री द्वारा बताया गया कि आर–3 में दर्ज मीटर की प्रारंभिक रीडिंग 0007 है। वर्तमान में जो नये मीटर आ रहें हैं, उनके सीरियल नंबर के अनुसार ही उनकी बॉडी सीलों का नंबर भी वहीं यानि मीटर का सीरियल नंबर ही रहता हैं।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 में अचानक आई अधिक खपत मीटर की खराबी के कारण हो सकती हैं। क्योंकि इस अवधि में हमारे द्वारा इतनी खपत या विद्युत का उपयोग नहीं किया गया हैं।

फोरम द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में निर्णय लिये जाने तक आवेदक से विवादित बिल की राशि को छोड़कर शेष राशि को सुविधानुसार किश्तों में विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त किया जायें।

फोरम द्वारा अनावेदक से मीटर के बारे में जानकारी लेने पर बताया गया कि मीटर की कार्यप्रणाली की जॉच 200 वॉट के लेंप से की गई एवं जॉच के दौरान मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई। अतः आवेदक का यह कथन असत्य हैं कि मीटर की खराबी के कारण जुलाई 17 एवं अगस्त 17 में अधिक खपत दर्ज हुई हैं।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

फोरम द्वारा आवेदक से जानकारी लेने पर यह बात सामने आई हैं कि आवेदक ने नये विद्युत संयोजन के लिये माह जनवरी 2017 में आवेदन किया गया था एवं 11 फरवरी 2017 को आवेदक को नये कनेक्शन दिये जाने हेतु परिसर में मीटर स्थापित कर दिया गया था। आवेदक द्वारा माह मई 2017 में अपने नवनिर्मित फ्लेट का आधिपत्य प्राप्त करना बताया गया। अतः माह फरवरी 2017 से आधिपत्य लिये जाने तक फ्लेट की चॉबी एवं मीटर के उपयोग का अधिकार बिल्डर के पास था।

फोरम द्वारा अनावेदक से पूछे जाने पर बताया गया कि मीटर में 8 या 9 किलोवॉट की एम.डी. दर्ज हुई हैं। अतः परिसर में पाये गये लोड के अनुसार यह संदेहास्पद हैं। अतः फोरम द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदक के मीटर की जॉच कंपनी स्तर से कराकर जॉच रिपोर्ट फोरम के समक्ष आगामी दिनांक को प्रस्तुत करें।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कथन एवं दस्तावेजों का फोरम द्वारा अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अनावेदक द्वारा फोरम के निर्देश पर उपभोक्ता परिसर के विद्युत भार एवं उसके मीटर की जांच दिनांक 23.11.2017 को की गयी तथा मौके पर पंचनामा रिपोर्ट बनायी गयी, जिसमें मीटर में रिकार्डेड पिछले छः माह की विद्युत खपत/रीडिंग भी अंकित की गयी। जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने फ्लेट का अधिपत्य लिये जाने के पश्चात, जो कि स्वयं उपभोक्ता अनुसार मई 2017 में लिया गया, 01.06.2017 की रीडिंग 616, 01.07.2017 की रीडिंग 895 विद्युत खपत, 279 यूनिट, 01.08.2017 की रीडिंग 1833 विद्युत खपत विद्युत खपत 938 यूनिट, 01.09.2017 की रीडिंग 3294 विद्युत खपत 1463 यूनिट, 01.10.2017 की रीडिंग 3514 विद्युत खपत 220 यूनिट तथा 01.11.2017 की रीडिंग 3696 विद्युत खपत 182 यूनिट मीटर में दर्ज होना पायी गयी। निरीक्षण में मीटर की जांच की गयी, जो कि सही पायी गयी।

सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा दिये गये निर्देश पर अनावेदक द्वारा उपभोक्ता मीटर की जांच आर.एम.टी. लैब में दिनांक 11.12.2017 को करायी गयी तथा लैब की मीटर जांच रिपोर्ट फोरम के समक्ष दिनांक 13.12.2017 को प्रस्तुत की गयी। जांच में रिकार्डेड अधिक मांग (एम.डी.) भी आर.एम.टी. लैब द्वारा मीटर परीक्षण रिपोर्ट में अंकित की गयी। जिसके अनुसार माह जुलाई 2017 में एम.डी. 2.33 कि.वाट, अगस्त 2017 में 9.66 कि.वाट, माह सितम्बर 2017 में 13.0, कि.वाट, माह अक्टूबर 2017 में 8.54 कि.वाट, माह नवम्बर 2017 में 2.27 कि.वाट एवं दिसम्बर 2017 में 2.23 कि.वाट दर्ज होना पायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के यहां स्थापित मीटर में दर्ज अधिकतम विद्युत मांग (विद्युत भार) के अनुरूप ही विद्युत खपत दर्ज होना पायी गयी, जो कि फोरम के मत में उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग करने के कारण ही दर्ज हुयी होगी। फोरम के निर्देश पर मीटर की जांच मीटर परीक्षण लैब में करायी गयी। जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गयी।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अतः जबकि उपभोक्ता मीटर में दर्ज मासिक अधिकतम विद्युत मांग के अनुरूप विद्युत खपत दर्ज होना पायी गयी। फोरम के मतानुसार उपभोक्ता उसे प्रदान किये गये बिलों में किसी प्रकार की राहत पाने का पात्र नही पाया गया। उपभोक्ता को अनावेदक द्वारा प्रदान किये गये बिल वसूली योग्य पाये गये।

अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :03.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 921–22 भोपाल, दिनांक 08 / 01 / 2018

प्रति,
श्री आशीष ओझा,
म.न. H–592, हाऊसिंग बोर्ड, गैस राहत कालोनी,
करोंद भोपाल।(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-24/2017दिनॉक 30.10.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-24/2017दिनॉक 30.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 05.01.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक शहरसंभाग (उत्तर)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–24 / 2017 दिनांक 30.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 05.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/24/2017**

30.10.2017

श्री आशीष ओझा,
म.न. H–592, हाऊसिंग बोर्ड, गैस राहत (आवेदक)
कालोनी, करोंद भोपाल। (म.प्र.)
विरुद्ध
उपमहाप्रबंधक,शहर संभाग (उत्तर),(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक05.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/24दिनॉक 30.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 15.11.2017, 28.11.2017 एवं 13.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन** :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किआवेदक की दुकान निशातपुरा रेल्वे क्रॉसिग के पास स्थित तक्षशिला कॉलेज के प्रागंण में है। मेरा सर्विस क्रमांक 2304506–47–9–4384255000 है। मेरे द्वारा सन् 2009 में दुकान खाली कर बंद कर दी गई थी एवं बिजली विभाग के कार्यालय में कनेक्शन बंद करने का आवेदन दिया गया था।

यह कि सन् 2009 से आज दिनांक तक मेरी दुकान बंद रही है। सर्विस लाईन भी कटी हुई है एवं इस अवधि में मेरे द्वारा बिजली का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नही किया गया है।

इस माह मेरे द्वारा दुकान पुनः खोली गई, एवं नए कनेक्शन हेतु आवेदन देने कार्यालय पहुॅचा तब मुझे बताया गया कि उस स्थान पर कनेक्शन चालू है एवं ''29545'' रूपये का बिल बकाया है (29545 रू.) जमा करना होगा। तद्उपरांत ही आपका कनेक्शन चालू किया जाएगा।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अतः महोदय से मेरा निवेदन है कि क्योकिं लगभग इस 8 साल की अवधि में कोई बिजली का उपयोग नही हुआ है, अतः यह बिल अनुचित है। अतः इस बिल को खत्म कर मेरा कनेक्शन चालू किया जाए।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक निरंक का उत्तर माननीय फोरम के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. आवेदक की शिकायत का मुख्य एवं प्रथम चरण कि सन् 2009 में कनेक्शन कटवाने का आवेदन दिया था एवं कार्यवाही कर कनेक्शन काट दिया गया था, स्वीकार नही है। चूंकि कनेक्शन दिनांक ही 24.03.2009 है एवं कनेक्शन दिनांक से माह जुलाई 2013 तक निरंतर मीटर वाचन के देयक जारी हुए। अतः शिकायत पूर्णतः अस्वीकार है। यह भी अस्वीकार है कि आवेदक ने सन् 2009 पश्चात् विद्युत का उपयोग नही किया। बिलिंग प्रणाली में आवेदक का मीटर क्रमांक एम.पी.बी. 14751, एस.आर. 06 पर दिनांक 31.03.2009 को स्थापित हुआ एवं दिनांक 12.01.2011 को 1015 वाचन पर बदलने हेतु निकला गया था।
2. दिनांक 12.01.2011 को मीटर क्रमांक एम.पी.बी 14751 को नए मीटर क्रमांक एम.पी.बी. 17445 से परिवर्तित किया जाना बिलिंग प्रणाली में दर्ज है यह मीटर एस.आर. 02 पर स्थापित किया गया था एवं इस मीटर के माध्यम से जुलाई 2013 में पूर्व वाचन 714 से वर्तमान वाचन 746 पहुंचने पर कुल 32 यूनिट खपत का देयक जारी हुआ। अतः जुलाई 2013 तक निरन्तर विद्युत का उपयोग पूर्णतः प्रमाणित है एवं आवेदक की शिकायत असत्य है।
3. जूलाई 2013 से माह नवम्बर 2017 तक मीटर वाचन बिलिंग प्रणाली में वाचन 746 पर ही स्थिर पाया गया।
4. दिनांक 11.11.2017 को परिसर की जांच उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में फीड़र प्रबंधक श्री नितिन उपाध्याय द्वारा पंचनामा क्रमांक 4284/20 (संलग्न) से कराई गई।
5. दिनांक 11.11.2017 को स्थल निरीक्षण में कनेक्शन पोल से अस्थाई रूप से विच्छेदित पाया गया (बकाया राशि जमा न करने के कारण)।
6. दिनांक 11.11.2017 को अस्थाई विच्छेदित कनेक्शन का मीटर डिस्प्ले नही आने से मीटर वाचन हेतु अस्थाई विच्छेदित लाईन को जुड़वाया गया तो मीटर, में वाचन 750 पाया गया। (पंचनामें क्रमांक 4284/20 का अवलोकन करें)
7. आवेदक की प्रस्तुत शिकायत मनगढन्त एवं असत्य है जिसे सिद्ध करने का भार आवेदक पर है। बिलिंग प्रणाली में समय–समय पर वाचन के बिल जारी होना एवं निरीक्षण दिनांक 11.11.2017 को बिल में दर्ज वाचन से अधिक खपत मीटर में पाया गया प्रमाणित करता है कि कनेक्शन बकाया के कारण अस्थाई तौर पर विच्छेदित है।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

8. आवेदक ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही कर सका कि उसने कभी स्थाई विच्छेदन का आवेदन दिया हो एवं मीटर चूकिं वर्तमान तक आवेदक के परिसर में ही स्थापित है अतः वर्तमान तक देयक राशि माफी योग्य नही है।

निवेदन है कि आवेदक के आवेदन को निरस्त कर उसे बकाया राशि भुगतान करने हेतु निर्देशित करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा दिनांक 15.11.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मेरी दुकान निशातपुरा रेल्वे क्रासिंग के पास स्थित तक्षशिला कॉलेज प्रांगण में हैं, जिसका सर्विस क्र. 2304506–47–9–4384255000 है। मेरे द्वारा वर्ष 2009 में दुकान खाली कर दी गई थीं एवं बिजली विभाग के कार्यालय में कनेक्शन बंद करने का एक आवेदन दिया गया था। वर्ष 2009 के पश्चात से मेरी दुकान की सर्विस लाईन भी कटी हुई हैं एवं उसके पश्चात से आज दिनांक तक मेरे द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किया गया हैं। मेरे द्वारा माह अगस्त–सितम्बर 17 में पुनः दुकान खोली गई एवं नये कनेक्शन हेतु आवेदन देने पर मुझे बताया गया कि आपका कनेक्शन चालू हैं, जिस पर रूपये 29545/– राशि बकाया हैं। इस कारण नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता एवं पूर्व की बकाया राशि रूपये 29545/– जमा कराने हेतु कहा गया। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि उपरोक्त बिल राशि रूपये 29545/– को समाप्त कर मुझे नया कनेक्शन प्रदान कराने का कष्ट करें।

मैं अपने कथन के समर्थन में विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 Termination of Agreement कण्डिका 7.25 एवं अध्याय 10 विच्छेदन की कण्डिका 10.17 प्रस्तुत कर रहा हूॅ। जिसके अनुरूप अनावेदक कंपनी को कार्यवाही करते हुए वर्ष 2009 के पश्चात स्वतः ही कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर बिलिंग बंद की जानी चाहिये थीं, परन्तु अनावेदक कंपनी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए कनेक्शन चालू रखा एवं गलत बिलिंग जारी रखी। कृपया इसे निरस्त किया जाये तथा मुझे वहॉ नया कनेक्शन प्रदान किया जायें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक की शिकायत का मुख्य एवं प्रथम चरण कि सन 2009 में कनेक्शन कटवाने का आवेदन दिया था एवं कार्यवाही कर कनेक्शन काट दिया गया था, स्वीकार नहीं हैं। आवेदक को कनेक्शन दिनांक 24.03.2009 को प्रदत्त किया गया एवं कनेक्शन दिनांक से माह जुलाई 2013 तक समय समय पर मीटर वाचन अनुसार विद्युत देयक जारी होते रहें। दिनांक 11.11.17 को आवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पंचनामा क्रमांक 4284/20 से जॉच में यह पाया गया कि आवेदक की दुकान

के अन्दर मीटर लगा हैं एवं पोल से सर्विस लाईन विच्छेदित हैं। मीटर के वाचन की जॉच में मीटर वाचन 750 पाया गया। अतः उपभोक्ता को जो भी देयक जारी किये गये वे लगभग वाचन आधारित ही किये गये हैं। चूँकि बकाया राशि होने पर कनेक्शन विच्छेदित हैं, मीटर परिसर पर स्थापित हैं। अतः आवेदक की शिकायत निरस्त करने योग्य हैं।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2013 तक की उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन की वास्तविक विच्छेदन दिनांक सहित आगामी तिथि को मीटर रीडिंग डायरी प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

फोरम द्वारा दिनांक 28.11.17 को दिये गये निर्देशानुसार उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन संबंधी, अनावेदक द्वारा कनेक्शन दिनांक से वर्तमान तक प्रतिमाह के बिलिंग विवरण प्रस्तुत किये गये तथा कथन किया कि आवेदक उपभोक्ता को वर्ष 2009 से मार्च 2015 तक उपभोक्ता पासबुक (आर.एम.एस. बिलिंग प्रणाली आधारित) एवं अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2017 तक सी.सी. एण्ड बी. बिलिंग प्रणाली आधारित उपभोक्ता पासबुक प्रस्तुत हैं। आवेदक द्वारा दिनांक 28.11.17 को प्रस्तुत शपथ पत्र उपरोक्त रिकार्ड अनुसार असत्य हैं एवं स्वीकार योग्य नहीं हैं। आवेदक द्वारा बकाया राशि भुगतान न करने पर कनेक्शन माह मार्च 2016 में अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया। आवेदक का यह कथन भी अस्वीकार हैं कि आवेदक ने कार्यालय में कनेक्शन बंद करने हेतु कोई आवेदन दिया। वास्तविकता यह हैं कि आवेदक दुकान में व्यवसाय हेतु विद्युत प्रदाय चाहता हैं एवं इसी बाबत् उसने माननीय फोरम से कनेक्शन जुड़वाने का निवेदन किया हैं, परन्तु बकाया राशि का भुगतान नहीं करना चाहता हैं। अतः निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन निरस्त कर उन्हें बकाया राशि का भुगतान कराने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे द्वारा 24.03.2009 को अंतिम भुगतान विद्युत कंपनी को किया गया था। विद्युत कंपनी के अधिकारियों का यह कहना हैं कि मेरा कनेक्शन माह मार्च 2016 में काटा गया हैं। अतः जब मेरे द्वारा वर्ष 2009 से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो मेरा कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया एवं मेरे द्वारा उक्त अवधि में विद्युत का उपयोग नहीं किया गया हैं। अतः विद्युत कंपनी के अधिकारियों का यह कथन कि कनेक्शन माह मार्च 2016 में काटा गया हैं, असत्य हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि वर्ष 2009 से आगामी दो वर्ष तक का मिनिमम चार्ज जमा करने को मैं तैयार हूँ। शेष राशि को निरस्त कर मेरे कनेक्शन को पुनः चालू करवाने का कष्ट करें।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन संबंधी उपभोक्ता पासबुक एवं भुगतान का विवरण वर्ष 2009 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि का प्रस्तुत किया गया। फोरम द्वारा उक्त उपभोक्ता पासबुक एवं भुगतान के विवरण में अंकित विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन के मीटर की रीडिंग मई 2009 से अगस्त 2013 तक बीच–बीच में प्रिमाइस लाक की टीप के साथ निरंतर होती रही है तथा कनेक्शन के विरूद्ध जारी किये विद्युत बिलों का भुगतान भी माह जनवरी–फरवरी 2012 तक निरंतर होना पाया गया। इस अवधि में उपभोक्ता पासबुक में दर्ज जानकारी के अनुसार माह फरवरी 2011 में मीटर भी बदला गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित हो जाता है कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन से विद्युत का उपयोग माह जुलाई–अगस्त 2013 तक निरंतर किया जाता रहा है। अतः उपभोक्ता का यह कथन है कि उसके द्वारा दिनांक 24.03.2009 को अंतिम भुगतान किया था तथा उसके बाद विद्युत का उपयोग नही किया गया, मान्य योग्य नही पाया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान फोरम के निर्देश पर अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन का मीटर दिनांक 11/11/17 को चैक किया गया, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गयी तथा मीटर में रीडिंग 750 पाई गई। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता पासबुक के विवरण अनुसार उपभोक्ता के मीटर में अगस्त 2013 में 746 रीडिंग ली गयी, उसके बाद कभी भी मीटर रीडिंग 746 से आगे फारवर्ड नहीं हुआ तथा मीटर निरीक्षण दिनांक 11/11/2017 को मीटर में रीडिंग 750 दर्ज पायी गयी। अनावेदक द्वारा स्वतः बताया गया कि कनेक्शन बकाया राशि पर अस्थायी रूप से पोल से कटा हैं। अतः मीटर में बढ़ी हुई रीडिंग माह सितम्बर 2013 में की गयी विद्युत खपत की मानी जा सकती। प्रस्तुत विवरण अनुसार माह सितम्बर 2013 में उपभोक्ता पर बकाया राशि रूपये 5766/– रहीं हैं। निश्चित ही माह फरवरी 2012 से सितम्बर 2013 के मध्य उपभोक्ता की ओर से विद्युत देयकों का भुगतान न होने के कारण अनावेदक कंपनी द्वारा संयोजन विच्छेदित किया होगा, परन्तु फोरम द्वारा चाहे जाने पर भी अनावेदक द्वारा वास्तविक विच्छेदन की प्रमाणिक दिनांक नहीं बतायी जा सकीं।

अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत फोरम इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हैं कि प्रकरण में अनावेदक को मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.27 के अनुसार कार्यवाही करना चाहिये। कण्डिका 7.27 में उल्लेख हैं कि **''यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हों, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नही उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जायेगा बशर्ते अनुबंध की प्रारंभिक अवधि समाप्त हो चुकी हों संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा.....।''**

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

**कंडिका 7.29 के अनुसार ''.....। स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन को पुनः चालू करने का इच्छुक हो, तो इसे नवीन संयोजन के आवेदन की ही भांति माना जायेगा तथा इसे उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जब आवेदक द्वारा समस्त बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो।''**

आवेदक द्वारा अपने कथन में निवेदन किया हैं कि उसके विद्यमान कनेक्शन में की गयी बिलिंग निरस्त कर कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित किया जायें और उसके नया कनेक्शन प्रदान किया जायें।

अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह उपभोक्ता के माह सितम्बर 2013 के बिल को अंतिम मानकर शेष राशि निरस्त करें तथा नियमानुसार कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित करें एवं आवेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.29 के अनुसार नया कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु नियम एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करें।

प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 05.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 930–31 भोपाल, दिनांक 15 / 01 / 2018

प्रति,
मो. इस्लाम,
म.न. 976, गली नं. 01 रोशन बाग,
चाणक्यपुरी ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल।(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-26/2017दिनॉक 18.11.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-26/2017दिनॉक 18.11.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 08.01.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. **उप**महाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–26 / 2017 दिनांक 18.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 08.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/26/2017**

18.11.2017

मे. इस्लाम,
म.न. 976, गली नं. 01 रोशन बाग, (आवेदक)
चाणक्यपुरी, ऐशबाग स्टेडियम,
भोपाल। (म.प्र.)
विरुद्ध
उपमहाप्रबंधक,शहर संभाग (पूर्व),(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

## आदेश

**आज दिनांक08.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/26दिनॉक 18.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 02.12.2017, 12.12.2017 एवं 28.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किप्रार्थी मो. इस्लाम आत्मज डॉ. नजीर मोहम्मद निवास म.न. 976 गली नम्बर–1 रोशन बाग ऐशबाग स्टेडियम चाणक्यपुरी में निवास करता हूॅ। मेरे मकान का एक माह का रू. 28371/– बिजली का बिल भेजा गया था। जिसकी मेरे मीटर खराब होने की शिकायत आवेदन 06.06.2017 को श्री अंकुर, श्री एम.एच. सिद्दीकी को मीटर खराब होने का आवेदन दिया था। उन्होने आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदन पर लिखते हुए उन्होने 3 व 4 दिन में खराब मीटर बदलवा दिया और सही मीटर लगा दिया गया। उसके बाद बिल सही करने को कहां गया तो उन्होने बिल सही करने के 5 हजार रू. मांग की थी, जिस पर हमने उसका विरोध करने पर श्री अंकुर और श्री एम. एच. सिद्दीकी द्वारा लडाई झगडा और जान से मारने की धमकी देते हुये कहा मै इस पहले भी एक दो लोगो का काम लगा चुका हूॅ। जो मैने

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

महोदय जी एस.पी कलेक्टर डिजिनल इंजीनियर महाप्रबंधक, मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय को भी बिजली विभाग के रिश्वत खोर और मनमाने डंग से बिलों का भेजना और लोगों पर चोरी के झूठे केश बनाना अधिकारी को शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद डिविजन इंजीनियर (डी.बी. ठाकरे) द्वारा मेरा बिजली का बिल रू. 28371/– में से रू.9303/– का कर दिया गया। लगभग दो माह से परेशान किया गया। श्री अंकुर और श्री एम.एच. सिद्दीकी और पटेल अन्य और भी लोग साथ में थे जो मेरे घर पर सुबह–सुबह मेरे घर पर जान से मरवाने की धमकी व गाली गलोच करते हुए जो तुमने मेरे खिलाफ शिकायते की वो वापस लेना वरना हाथ धो बेटोगें। साथ में झूठा चोरी का केश बना दूगा अगर तुमने शिकायत वापस नही ली तो इन दोनों मे से दोनों काम कर दूंगा। इस दुनिया में ही नही दिखोगे। जिसकी शिकायत मैने ऐशबाग थाने और डिविजन इंजीनियर को यह बात बताई तो उन्होने भी उस पर कोई एक्सन न लेते हुए उल्ट ही आवेदक को पहले डराया गया। चोरी का केश बनाने में उसके बाद हमने कहा चोरी का केश बनाईये तो कोर्ट मे हम जबाव तलाव खुद कर लेगें कोर्ट का केश बनाईये तो डिविजनल इंजिनियर ठंडे हो गये फिर समझाइस देने लगे कि रहने दो छोड़ो हम उन लोगो को समझाा देगें हमने कहा उन पर कार्यवाही करो सख्त तो कहने लगे एफीडेविट दो उसके बाद फिर लेने से मना कर दिया गया। इससे साफ जहीर होता है कि भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को बचाया जा रहा है कि बिल तो सही कर दिया बचाने की बजाह रिश्ते दारी निभाई जा रही है या उनसे भी इन भ्रष्ट मामले में हिशेदारी है ये लोग पूरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशान कर के रखा है ये लोग 50 केश बनाते है 10 केश के पैसे शो करत है 40 केश के पैसे खा जाते है। और शिकायत करने वाले को झूठा ठेहेरा देता है और झूठी रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को गुमराह कर देता है। इसमें अधिकारी तो इसकी बड़ा ईमानदार समझ रहे है। अधिकारी और मंत्री इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे। इन लोगों से बिजली उपभोक्ता मानसिक रूप से बहुत परेशान है शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। गरीबी हाल में आज करोड़पति बन बैठा आज बड़ी आली सान बिल्डींग है जमीन जाईजात कर ली। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कर सस्पेंड किया जाये और थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने पर भी कार्यवाही की जाए। हम उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का कष्ट किया जाए। मै आपका सदा अभारी रहूंगा।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री मो. इस्लाम, म.न.–976, गली नं. 1 रोशनबाग, ऐशबाग भोपाल का विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण पंचनामा क्रमांक 6212/24 दिनांक 03.07.2017 को बनाया गया था। तदनुसार विद्युत क्षति राशि रू. 54468/– एवं समझौता राशि रू. 7000/– कुल राशि रू. 61468/– का पूरक देयक उपभोक्ता को भुगतान हेतु जारी किया गया था।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

आवेदकमो. इस्लाम, म.न.–976, गली नं. 1 रोशनबाग, ऐशबाग भोपाल केपरिसर विद्युत कनेक्शन क्रमांक 354915111 में स्थापित मीटर क्रमांक 2131884 मेक बेन्टेक के क्षेत्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के उपरांत मीटर की कार्यप्रणाली डिफेक्टिव पाई गई जिसके कारण उपभोक्ता के परिसर में 06.06.2017 को स्थापित मीटर की खपत 289 यूनिट दिनांक 04.07.2017 को पाई गई खपत के अनुसार मासिक यूनिट 310 यूनिट का आंकलन कर बिल का समायोजन कर उपभोक्ता को 20470/– राशि की क्रेडिट प्रदान की गई है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया गया कि उनके भाई मोहम्मद इस्लाम, म.नं. 01, रोशनबाग, चाणक्यपुरी, ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल, (म.प्र.) के मकान पर 1380 वॉट का एक सिंगल फेस कनेक्शन लिया हुआ हैं। यह कनेक्शन दो साल पहले प्राप्त किया गया था। माह जून 17 में मेरे घर का बिजली का बिल अचानक 2668 यूनिट का रूपये 28,789/– का दिया गया। मेरे घर पर अभी तक 100–150 यूनिट की बिजली की खपत होती थीं, जिसका बिल मैं समय पर जमा करता था। अचानक आये इस अधिक बिल के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 06.06.2017 को चांदबढ़ स्थित बिजली कार्यालय में मीटर खराब होने की शिकायत की गई थीं, जिस पर चांदबढ़ स्थित अधिकारियों द्वारा मेरे परिसर का लोड चैक किया गया एवं इस बिल को सुधार कर रूपये 9303/– कर दिया गया। जिसका भुगतान माह अगस्त 2017 में हमारे द्वारा कर दिया गया। माह सितम्बर 2017 में रूपये 1845/– का बिल दिया गया था, जिसका भुगतान भी कर दिया गया था। माह सितम्बर 2017 में हमारे द्वारा बिजली विभाग की कार्यवाही से परेशान होकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थीं। इस बात से नाराज होकर एवं पद का दुरूपयोग करते हुए बिजली कम्पनी के लगभग 20–25 लोग दिनांक 26.09.2017 को हमारे घर पर आये और बिजली काटकर एवं अभद्र व्यवहार करके चले गये। मेरे भाई के परिवार में तीन बच्चियां हैं जो बड़ी कक्षाओं में पढ़ रही हैं। घर की लाईट कटी होने के कारण उनकी पढ़ाई में भी नुकसान हो रहा हैं। इन सब घटनाओं से नाराजगी व्यक्त करते हुए माह अक्टूबर 2017 में 0 रीडिंग का बिल राशि रूपये 62,212/– का जारी किया गया। लाईट अभी तक कटी हुई हैं एवं जानकारी मांगने पर रूपये 62,212/– का बिल किस बारे में हैं, इसकी भी जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं।

अनावेदक कंपनी द्वारा हमारे साथ जो कार्यवाही की गई हैं, वह पद का दुरूपयोग करते हुए एवं बदला लेने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक की गई हैं। अतः निवेदन हैं कि लाईट का कनेक्शन चालू करवाया जायें एवं रूपये 62,212/– के बिल का विवरण उपलब्ध कराया जायें।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अनावेदक द्वारा दिनांक 12.12.2017 को फोरम के समक्ष उपभोक्ता श्री मोहम्मद इस्लाम के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दिनांक 03.07.2017 को बनाया गया पंचनामा, उसके आधार पर जारी किया गया अनंतिम निर्धारण आदेश एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। साथ ही प्रकरण में कथन किया गया कि श्री मोहम्मद इस्लाम म. नं. 976, गली नं. 1 रोशनबाग, ऐशबाग भोपाल का विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया गया था। तदनुसार उपभोक्ता को कुल राशि रू. 61468/– का पूरक देयक भुगतान हेतु जारी किया गया था। बाद में रूपये 61468/– की डिमाण्ड, उपभोक्ता के बिल में दिनांक 26.09.2017 को जोड़ी गई थीं, जिसमें विद्युत क्षतिपूर्ति राशि रूपये 56468/– एवं कम्पाउण्डिग राशि रूपये 7000/– थीं।

फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वह आवेदक उपभोक्ता को दिये गये,बिल की राशि रूपये 28293/– जो विवादित बिल के संबंध में मीटर टेस्टिंग एवं सुधारे गये बिल के दस्तावेज आगामी तिथि को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

फोरम के निर्देशानुसार सुनवाई तिथि 28.12.2017 को अनावेदक की ओर से अपने लिखित कथन के साथ उपभोक्ता मीटर की मीटर परीक्षण लैब की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.06. 2017 प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार उपभोक्ता के यहॉ से दिनांक 06.06.2017 को निकाला गया मीटर डिफेक्टिव पाया गया। मीटर परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के माह जून 2017 के बिल में किये गये संशोधन संबंधी बिलिंग पत्रक भी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनावेदक द्वारा अपने लिखित कथन में बताया गया कि उपभोक्ता श्री मोहम्मद इस्लाम के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 354915111 में स्थापित मीटर क्रमांक 2131884 मेक बेन्टेक की क्षेत्रीय मीटर परीक्षण लैब में जांच में मीटर की कार्यप्रणाली डिफेक्टिव पायी गयी। जिसके कारण उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 06.06.2017 को स्थापित मीटर की खपत 289 यूनिट जो दिनांक 04.07.2017 को पायी गयी खपत के अनुसार मासिक यूनिट 310 यूनिट का आंकलन कर बिल का समायोजन कर उपभोक्ता को 20,470/– राशि की क्रेडिट प्रदान की गयी है।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में आगे कथन किया गया कि माननीय फोरम द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवेदक का विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया हैं। माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण धारा 135 का होने के कारण प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया कि अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का दिनांक 03.07.2017 को किये गये निरीक्षण में विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा क्रमांक 6212/24 दिनांक 03.07.2017 बनाया गया तथा निरीक्षण में पाये गये भार के आधार पर 12 माह की विद्युत क्षति की बिलिंग की गयी।**जबकि**

**इसके पूर्व दिनांक 06.06.2017 को अनावेदक द्वारा उपभोक्ता का मीटर बदला गया। यदि दिनांक 06.06.2017 को मीटर बदलते समय उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी की जा रही होती तो निश्चित ही तत्समय ही अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी का पंचनामा बनाया गया होता। जो कि नही हुआ और न ही अनावेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। अतः फोरम के मत में उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण में 12 माह की बिलिंग किया जाना नियमानुसार गलत है।**

प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदक को माह जून 2017 में प्रदान किये गये विवादित बिल में नियमानुसार संशोधन कर दिया गया। जो फोरम के मत में विधिसंगत पाया गया।

जहॉ तक उपभोक्ता के विरूद्ध धारा 135 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण का प्रश्न है, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2009 के माध्यम से जारी विनियम 2009 की कंडिका 2.4 (एम) के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरणों को फोरम में विचारण योग्य शिकायतों की श्रेणी में शामिल नही किया गया है।

अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदक धारा 135 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगे।

प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 08.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 914–15 भोपाल, दिनांक 05 / 01 / 2018

प्रति,
श्री रिजवान अंसारी,
म.न. 15 / ए, रानी अमन बाई कालोनी ,
नियर नवीन नगर, ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल।
(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-27/2017दिनॉक 20.11.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-27/2017दिनॉक 20.11.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 02.01.2017 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि–

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग (पूर्व)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–27 / 2017 दिनांक 20.11.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 02.01.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.बी.टी/27/2017**

20.11.2017

श्री रिजवान अंसारी,
म.न. 15/ए, रानी अमन बाई कालोनी,**(आवेदक)**
नियर नवीन नगर, ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल।
(म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,शहर संभाग (पूर्व),**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक02.01.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/27दिनॉक 20.11.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 02.12.2017 एवं 12.12.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किआवेदक मो. रिजवान अंसारी पुत्र मो. मुश्ताक अंसारी, निवासी 15/ए, रानी अमन बाई कालोनी, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल का निवासी हूॅ। मै गरीब साधारण सा व्यक्ति हूॅ, मेरा छोटा सा मकान है जिसमें मै एवं एक पत्नी 2 छोटे बच्चे है जो कि छोटे मकान में 49155/– रू. का झूठा चोरी का केस मेरे ऊपर बनाया गया है। मेरे घर से मेरी गैर मौजूदगी में बिजली मीटर निकाल कर ले गये एवं नया मीटर लगा कर चले गये जिसकी मुझे कोई सूचना नही दी। मीटर निकाल कर ले जाने के बाद बिजली विभाग द्वारा स्वंय मीटर के साथ छेडछाड कर श्री एम.ए. सिद्दीकी व अंकुर द्वारा मुझे डराया व धमकाया गया कि 10 हजार रू. निरजा तिवारी मेडम को दे दो और हर माह 2 हजार रू. मेडम को पहुंचा दिया करों तुम्हारे ऊपर

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

कोई प्रकरण नही बनेगा बिजली जलाते रहो जैसा आपके इलाके के लोग कर रहे है वैसा आप भी करते रहो फायदे मे रहोंगे वरना ऐसे ही चोरी के झूठे प्रकरण बनाये जायेगें। प्रकरण बनाकर बिजली भी काट दी जावेगी मजबूरी में आपकों पैसे भरने ही पडगे। यह भी कहा है हमें बिजली के झूठे केस बनाने के लिये विधायक विश्वास सारंग ने कहां है पैसे हमें इक्ट्ठे करके विधायक जी को हर महीनें देना पड़ता है। हमारे साथ विधायक जी है ज्यादा शिकायते करोगे तो विधायक जी के गर्गो से में बुलाकर जान से मरवा दूगा। लाखो रूपये हम जेब से थोडे न देगे आप लोगों से ही वसूल करके हमें देना पड़ेगा। मैने पैसे देने से इनकार किया तो मेरे साथ हनीफ सिद्दीकी व अंकुर द्वारा गाली गलोज मारपीट व जान से मारने की धमकी मेरे घर पर खुद आकर घटना को अंजाम दिया गया और मेरे ऊपर झूठा बिजली चोरी 49155/– रू. का केस बना दिया गया। मुझे तरह–तरह से परेशान स्वयं कर रहे है और अपने गुर्गो को भेजकर अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा है। मेरे साथ इलाके के और लोगों को भी गलत तरीके से परेशान कर रहा है।

आवेदक को निम्न बिंदुओं पर आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक संज्ञापन प्रपत्र पर आपत्ति है:–

1. यह कि जो राशि भुगतान हेतु उपभोक्ता को प्रपत्र दिया गया है वह पूर्णतः नियम विपरीत होकर मनमर्जी की राशि का प्रपत्र बनाकर उपभोक्ता से अवैध वसूली की मंशा से जारी किया गया है। उपभोक्ता इतनी बड़ी राशि जमा करने में असमर्थ है। उपभोक्ता को इतनी बड़ी राशि का बिल देकर परिवार को मानसिक टेंशन में डाला गया है। उक्त टेंशन से परिवार के किसी भी सदस्य की अनहोनी की संभावना है जिसके जिम्मेदार उक्त प्रपत्र का जारी करने वाला कर्मचारी दोषी माना जावेगा।
2. यह कि कार्यालय द्वारा जो राशि का भुगतान प्रपत्र बनाया है उसमें यह नही बताया गया कि मीटर किस उपभोक्ता का है किस मीटर क्रमांक का है और कितने माह की कितनी खपत एवं कितने लोड का प्रपत्र बनाया गया है इस प्रकार यह नियम विपरीत प्रपत्र प्रस्तुत कर उपभोक्ता से अवैध वसूली करने का प्रयास है।
3. यह कि प्रपत्र के साथ आपके द्वारा मीटर जांच रिपोर्ट भी उपभोक्ता को नही दी गई है कि आपके के कार्यालय द्वारा किस मीटर का और किस उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर की जांच की गई है। कार्यालय द्वारा मीटर जांच भी संदेहस्पद एवं पारदर्शी न हो कर मनमर्जी की जांच कर उपभोक्ता से अवैध वसूली का प्रयास किया जा रहा है।
4. यह कि बिजली मीटर उपभोक्ता के घर से जब जांच हेतु निकाला गया था तो कर्मचारी द्वारा सील पेक मीटर लेकर गया था। मीटर जांच करते समय व मीटर खोलते समय उपभोक्ता के सामने नही खोला गया है इस प्रकार भी जांच दुर्भावना व नियम विपरीत की गई है जो उपभोक्ता से अवैध वसूली के मंशा से फर्जी जांच कर उपभोक्ता पर फर्जी प्रकरण बनाया गया है।
5. यह कि विभाग के कर्मचारी द्वारा उपभोक्ता के मीटर को शक के दायरे में रखकर जांच की थी। क्योंकि उपभोक्ता जिस समय मीटर निकाला गया था उसके 3–4 माह से परिवार

संहित बैंगलोर में अपने बच्चे का हार्ट का इलाज हेतु वहां गया हुआ था घर में उजाले हेतु एक बल्ब जला कर गया था और उस माह खपत कम आने से कर्मचारीयों के मन में अचानक खपत कम होने की शंका पैदा होने से मीटर निकाल कर जांच करने हेतु ले गये थे।

6. यह कि विभाग द्वारा मीटर जांच के संबंध में ऐसा कोई सूचना पत्र भी नही भेजा गया जिसमें यह लिखा हो कि आप उक्त दिनांक को मीटर जांच की जावेगी आप उपस्थित नही होवेगे तो आपकी अनुपस्थिति में मीटर जांच कर दी जावेगी। इस प्रकार विभाग द्वारा उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उक्त मीटर जांच भी फर्जी व अवैध है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपभोक्ता के उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उक्त प्रपत्र को निरस्त किया जावे एवं भ्रष्ट अधिकारी पर सख्त कार्यवाही कर निलंबित किया जावे। मुझे न्याय दिलाने एवं जानमाल एवं बिजली विभाग की प्रताड़ना से बचाये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जावें इस संबंध में मेरे पास गवाह भी है आवश्यकता पडने पर पेश किये जावेगे। मै जीवन भर आपका आभारी रहूगा।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक मो. रिजवान अंसारी पुत्र मो. मुश्ताक अंसारी, निवासी 15/ए, रानी अमन बाई कालोनी, नीयर नवीन नगर, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल का विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंर्तगत विद्युत चोरी का प्रकरण पंचनामा क्रमांक 5249/23 दिनांक 10.05.2017 को बनाया गया था। तदानुसार विद्युत क्षति राशि रू.45155/– एवं समझौता राशि रू.4000/– कुल राशि रू.49155/– का पूरक देयक उपभोक्ता को भुगतान हेतु जारी किया गया था।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा दिनांक 02.12.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि मैंने एक 580 वॉट का सिंगल फेस कनेक्शन, रानी अमन बाई कॉलोनी, नवीन नगर में झुग्गी झोपड़ी हेतु एक कनेक्शन अनावेदक कंपनी से लिया हुआ हैं। जिसके बिलों का भुगतान मेरे द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा था। मैं अपने बच्चे की बीमारी की वजह से पिछले छः माह से घर पर नहीं रह पाता था एवं मेरा ज्यादातर समय अस्पताल में अथवा बाहर ही निकलता था, जिसकी वजह से मेरी खपत कम आई। इस दौरान माह मई 17 में मेरा मीटर निकाल लिया गया एवं उसकी जगह नया मीटर लगा दिया गया, जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। उसके पश्चात मुझे एक बिल राशि रूपये 49155/– का दिया गया,

जिसके प्राप्त होने के पश्चात मैं चांदबढ़ स्थित कंपनी के कार्यालय में सम्पर्क किया गया एवं रूपये 49155/– का विवरण मेरे द्वारा मांगे जाने पर भी मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त बिल को कम करने के लिये मुझ से अतिरिक्त राशि की मांग की जाने लगी। मेरे द्वारा अतिरिक्त राशि नहीं दिये जाने पर माह सितम्बर 2017 में मेरा कनेक्शन काट दिया गया। तब से मैं अपने रिश्तेदारों के यहॉ रहकर गुजर बसर कर रहा हूॅ एवं मेरे द्वारा उक्त मकान में बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा हैं।

अतः निवेदन हैं कि मेरा मीटर क्यों निकाला गया एवं रूपये 49155/– का बिल किस आधार पर दिया गया हैं, अनावेदक कंपनी से इसका विवरण मांगा जायें एवं मेरा कनेक्शन चालू करवाया जायें।

अनावेदक की ओर से फोरम में अगली सुनवाई तिथि दिनांक 12.12.2017 को श्री हनीफ सिद्दीकी, कनिष्ठ यंत्री चॉदबड जोन भोपाल द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 10.05.2017 को मौके पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बनाया गया। निरीक्षण पंचनामा, आर.एम.टी. लैब भोपाल द्वारा दिनांक 08.06.2017 को की गयी उपभोक्ता के मीटर की जांच रिपोर्ट तथा उपभोक्ता मीटर का दिनांक 09.06.2017 को आर.एम.टी. लैब भोपाल में किये गये भोतिक निरीक्षण की पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। आर.एम.टी लैब की मीटर के भौतिक परीक्षण संबंधी पंचनामा रिपोर्ट में लेख किया गया है, कि '' मीटर की बॉड़ी में पीछे बायी तरफ छेद पाया गया एवं मीटर को खोलने पर फेस सर्किट के हरे रंग का तार कटा हुआ पाया गया अतः मीटर आंतरिक सर्किट के साथ छेड़छाड पायी गयी।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, आवेदक का प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से संबंधित है, जो कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी '' म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 2.4 (एम) में किये गये प्रावधानों अनुसार फोरम द्वारा विचारण योग्य शिकायतों की श्रेणी में शामिल नही है। अतः फोरम द्वारा आवेदक के शिकायत आवेदन को नियमानुसार विचारण योग्य शिकायतों की श्रेणी में न पाये जाने के कारण प्रकरण के गुण–दोष पर विचार किये बिना निरस्त किया जाता है।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 02.01.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **राजीव अग्रवाल** |
| सदस्य(राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | (अध्यक्ष) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 999–1000 भोपाल, दिनांक 25 / 01 / 2018

प्रति,
श्री नीतेश कुमार कृपलानी,
पुत्र श्री रमेश कृपलानी,
दर्जी ओली पिछाड़ी, डियोढ़ी,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक17.01.2018के संबंध में।**

**–0–**

**महोदय,**

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–12 / 2017 दिनॉक 13.06.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक17.01.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न** :निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

**प्रतिलिपि –**

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–13 / 2017 दिनांक 13.06.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 17.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

**संलग्नः–**निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.जी.टी.12/2017**

**13.06.2017**

श्री नीतेश कुमार कृपलानी, (आवेदक)
पुत्र श्री रमेश कृपलानी,
दर्जी ओली पिछाड़ी, डियोढ़ी
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

**आदेश**

**आज–17.01.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/12 दिनॉक 13.06.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.07.2017, 11.08.2017, 14.09.2017, 12.10.2017, 09.11.2017, 07.12.2017 एवं11.01.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

   1. यह कि, आवेदक द्वारा उपरोक्त वर्णित पते पर अनावेदक से एक गैर–घरेलू कनेक्शन लिया हुआ है, जो 7 किलोवाट भारे के लिये स्वीकृत है। उक्त कनेक्शन के द्वारा उपयोग की गई विद्युत उर्जा के एवज में अनावेदक द्वारा जारी समस्त बिलो का भुगतान पूर्व में आवेदक द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

.

2. यह कि, आवेदक के कनेक्शन का उक्त मीटर आवेदक के परिसर से बाहर दूर खम्बे पर लगा हुआ था, जिसका बाहार क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की गेंद से ढक्कन टूट गया था, जिसकी शिकायत दिनांक 24.02.2016 को सम्बंधित जोन पर की गई, जिसे जोन द्वारा शिकायत क्रमांक 125 पर दर्ज किया गया तथा मीटर को शीघ्र बदलकर सुरक्षित स्थान पर लगाने पर आश्वासन आवेदक को दिया गय।
3. यह कि उक्त आवेदन देने के पश्चात अनावेदक द्वारा उक्त मीटर को नही बदला गया तथा लगातार मनमर्जी की रीडिंग के आधार पर आवेदक को बिल भेजे जाते रहे। दिनांक 01.02.2017 को आवेदक के कनेक्शन से सम्बंधित विद्युत पोल में आग लग गई और जिसमें आवेदक का मीटर क्षतिग्रस्त होकर जल कर बंद हो गया। आवेदक द्वारा उक्त घटना की सूचना उक्त दिनांक 01.02.2017 को अनावेदक के टॉल फ्री नम्बर पर की गई, जिसे शिकायत क्रमांक 20170200618 पर दर्ज कर शीघ्र ही शिकायत का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया।
4. यह कि, आवेदक द्वारा की गई उक्त शिकायत पर से अनावेदक कम्पनी की जे.ई. द्वारा दिनांक 02.02.2017 आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त मीटर को निकाला गया तथा मीटर को निकालकर की गई कार्यवाही के सम्बंध में पंचनामा क्रमांक 101753/41 बनाया गया तथा आवेदक को मीटर जांच हेतु उपस्थित होने को कहा गया।
5. यह कि, आवेदक के परिसर से निकाले मीटर की जांच किये जाने पर एल.टी.एम.टी. लैब की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मीटर में किसी भी प्रकार की कोई अनियमित्ता नही थी तथा मीटर की कम्पनी द्वारा लगाई गई सभी सीले ठीक ठाक लगी हुई थी परन्तु मीटर दो फेस पर स्टॉप होकर 60 प्रतिशत स्लो पाया गया था।
6. यह कि, मीटर परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनावेदक द्वारा मीटर को 60 प्रतिशत स्लो मानते हुये आवेदक को एक अतिरिक्त बिल राशि 65,658/– रू. का प्रदान किया गया। आवेदक को उक्त बिल प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा उक्त बिल के सम्बंध मे अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 17.03.2017 को अनावेदक कार्यालय में प्रस्तुत कर उक्त अतिरिक्त राशि के बिल को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
7. यह कि, आवेदक द्वारा की गई उक्त आपत्ति को अनावेदक द्वारा बिना किसी उचित आधार पर एवं बगैर विधिक प्रक्रिया अपनाये आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 65,658/– रूपये के बिल को कम कर 40,176/– रूपये का कर दिया गया।

   यह कि, अनावेदक आवेदक की आपत्ति का निर्धारण करने से पूर्व आवेदक को पेरशान करने की मंशा से आवेदक को फरवरी 2017 का बिल निकाले मीटर की एफ.आर. 25285 होने के उपरांत भी अपनी मर्जी से मीटर की रीडिंग 26710 यूनिट मानते हुये 728 यूनिट का प्रदान किया, जिसके सम्बंध में आवेदक द्वारा अपनी लिखित आपत्ति अनावेदक को प्रस्तुत की गई परन्तु अनावेदक द्वारा उक्त राशि को बलपूर्वक वसूल करने की मंशा से आवेदक के विद्युत कनेक्शन को विच्छेद कर दिया तथा जिसे आवेदक से 5,000/– रू. एवं आर.डी.डी.सी चार्ज 200/– रू. जमा करने के बाद जोड़ा गया।
8. यह कि, आवेदक उक्त अतिरिक्त राशि के बिल एवं अनावेदक द्वारा उक्त बिल में संशोधन करने के बाद जारी अंतिम निर्धारण आदेश राशि रू. 40,000/– कतई संतुष्ट नही है,

**(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

जिसक कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. यह कि, आवेदक द्वारा उक्त गलत राशि के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करते समय उक्त बिल की 20 प्रतिशत राशि 13,132/– रू. माह अप्रैल 2017 के बिल के साथ अनावेदक कम्पनी में जमा करा दी गई थी, उसके पश्चात भी अनावेदक द्वारा माह अप्रैल 2017 के बिल की सम्पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत भी आवेदक को माह मई 2017 के बिल में 9,013/– रू. की अतिरिक्त राशि जोड़कर बिल दिया गया, इस प्रकार अनावेदक उक्त गलत आधार पर जारी बिल की राशि को विधि विरूद्ध रूप से अनावेदक से वसूल करने का प्रयास कर रहा है, जबकि अनावेदक द्वारा उक्त अतिरिक्त बिलिंग पूर्णतः आधार पर की गई है, जिसे अनावेदक को आवेदक से प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।

**5. अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किशिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष की गई शिकायत के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन इस प्रकार हैः–

1. यह कि, शिकायतकर्ता के मीटर की खपत संदिग्ध होने के कारण, संबंधित जोन के अधिकारी के द्वारा उसके किरायेदार श्री अशोक कुमार मिश्रा की उपस्थिति में पंचनामा क्रमांक 101753/41 दिनांक 02.02.2017 को शिकायतकर्ता मीटर को एल.टी.एम.टी. लैब में चैक करने हेतु डिब्बे में पैक किया गया था। दिनांक 14.02.2017 को शिकायतकर्ता के किरायेदार के समक्ष मीटर की एल.टी.एम.टी. लैब में जांच की गई। मीटर परीक्षण में, मीटर 60 प्रतिशत स्लो पाया गया व मीटर Y व B फेस बंद पाये गये। (सुलर्भ संदर्भ हेतु मीटर परीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है।)
2. यह कि, मीटर परीक्षण में 60 प्रतिशत स्लो पाये जाने के कारण कम्पनी द्वारा माह जनवरी 2016 से जनवरी 2017 तक 8142 यूनिट की बिलिंग कर राशि रू.65,658/– का पूरक देयक क्रमांक 8848 दिनांक 06.03.2017 जारी कर उपभोक्ता को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। (सुलर्भ संदर्भ हेतु बिलिंग शीट की छाया प्रति संलग्न है।)
3. यह कि, शिकायतकर्ता द्वारा उक्त देयक के संबंध में आपत्ति लिये जाने के बाद प्रकरण वृत्त स्तरीय कमेटी में भेजने के पूर्व शिकायतकर्ता से पूरक देयक राशि रू.65,658/– का 20 प्रतिशत राशि रू.13,132/– का बिल में दिनांक 20.03.2017 को डिमांड लगाकार उपभोक्ता से जमा कराये गये।

   यह कि, दिनांक 04.04.2017 को वृत्त स्तर पर गठित समिति (बी.आई.सेल शहर वृत्त) द्वारा प्रकरण की समीक्षा करने के उपरांत कमेटी ने निर्णय लिया गया कि पूर्व में कि गई 60 प्रतिशत स्लो बिलिंग यूनिट के स्थान पर अनबैलेन्स लोड (लाईट एण्ड फेन) की स्थिति मेंमीटर को खराब मानते हुये विद्युत सप्लाई कोड 2013 के प्रावधान अनुसार खपत यूनिट का आंकलन किया जाना चाहिये एवं भार गणना में इनवरटर का लोड 1220 वाट शामिल न किया जावे। (कमेटी द्वारा दिये गये निर्णय की छाया प्रति सुलर्भ संदर्भ हेतु अवलोकनार्थ संलग्न है)

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

4. यह है कि कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 04.04.2017 को आधार पर लोड के हिसाब से 9590 यूनिट की बिलिंग की गई है जिसमें पूर्व में की गई 4592 यूनिट कम करके शेष यूनिट 4998 का संशोधित देयक राशि रू.40,176/– क्रमांक 156 दिनांक 15.04.2017 को जारी किया गया है। (संशोधित देयक क्रमांक 156 दिनांक 15.04.2017 की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।)

5. यह है कि, संशोधित देयक की राशि रू.40,176/– में से जमा की गई राशि रू.13,132/– कम करके शेष राशि रू.27,044/– की डिमांड 27.04.2017 को माह अप्रैल 2017 के देयक में जोड़ी गई थी, जो सी.सी.एन.बी. सिस्टम के कारण बिल में परिलक्षित नही है, लेकिन सिस्टम से निकाली गई शीट में दिखाई दे रही है। ( सुलर्भ संदर्भ हेतु सिस्टम से निकाली गइ शीट की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।) इसी प्रकार मीटर के अंतिम वाचन 25286 एवं बिल में चल रही रीडिंग 26710 के अंतर 1575 यूनिट एवं माह फरवरी 2017 में जारी 728 यूनिट कुल 2303 यूनिट की क्रेडिट राशि रू.18,030/– की क्रेडिट दिनांक 27.03.2017 को उनके बिल में प्रदान कर दी गई है। (संलर्भ संदर्भ माह अप्रैल 2017 का देयक अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत है।) इस प्रकार माह मई 2017 के देयक में राशि रू.9014/– पूर्व अवशेष के रूप में परिलक्षित हो रही है।

6. यह कि, जिस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है कि आवेदक के कनेक्शन से विद्युत पोल में आग लग गईऔर जिसमें आवेदक का मीटर जल कर बंद हो गया है यह कहना गलत है कि आवेदक का मीटर जल गया है मीटर की एल.एल.एम.टी रिपोर्ट में मीटर जले हुये का कही भी उल्लेख नही है। (सुलर्भ संदर्भ हेतु मीटर की जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ संलग्न है।)

अतः कम्पनी द्वारा जो उपरोक्त कार्यवाही की गई है, वह म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार की गई है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान की समक्ष की गई शिकायत निरस्त करने का कष्ट करे।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 11.08.2017 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि शिकायतकर्ता के मीटर की खपत संदिग्घ होने के कारण संबंधित जोन के अधिकारी द्वारा उसके किराये दार श्री अशोक कुमार मिश्रा की उपस्थिति में सम्बधित जोन अधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार कर मीटर किरायेदार के समक्ष पैक किया गया, जिसकी जांच दिनांक 14.02.2017 में उसके किरायेदार की उपस्थिति के समक्ष कराई गई थी, मीटर परिक्षण में 60 प्रतिशत धीमा पाये जाने के कारण शिकायत कर्ता को राशि रू.65658/– कापूरकदेयक

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

.

दिनांक 06.03.2017 को जारी किया गया। शिकायत कर्ता द्वारा पूरक देयक के सम्बंध में आपत्ति लेने पर शिकायत कर्ता से पूरक देयक की राशि 20 प्रतिशत के रूप मे राशि रू. 13132/– उसके बिल दिनांक 20.03.2017 में लगाकर जमा कराये गये। वृत्त स्तर पर गठित कमेटी (बी.आई. सेल) द्वारा दिनांक 04.04.2017 को समीक्षा उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि 60 प्रतिशत धीमा बिलिंग के स्थान पर अनबैलेंस भार की स्थिति में मीटर खराब मानते हुये, बिलिंग की जावे। पूर्व में बिलिंग की गई यूनिट 9590 मे से 4592 यूनिट कम करके शेष यूनिट 4998 का संशोधित देयक राशि रू.40176/– दिनांक 15.04.2017 को जारी किया गया, शिकायत कर्ता के द्वारा मीटर रीडिंग के अनुसार 1575 यूनिट एंव माह फरवरी 2017 में जारी 728 यूनिट कुल 2303 यूनिट के क्रेडिट राशि रू.18030/– की क्रेडिट दिनांक 27.03.2017 को कर दी गई है। आवेदक का यह कथन गलत है कि विद्युत पोल में आग लग जाने के कारण मीटर जलकर बंद हो गया है, मीटर की एल.टी.एम.टी रिपोर्ट में मीटर जले होने का कही भी उल्लेख नही है। अनावेदक द्वारा कम्पनी के नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण के समाप्त करने का कष्ट करे।

दिनांक 11.01.2018 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि, आवेदक द्वारा अपने मीटर के खराब होने की स्वयं शिकायत दिनांक 01.02.2017 को अनावेदक को की थी। जिस पर अनावेदक द्वारा दिनांक 02.02.2017 को उक्त मीटर बदला था एवं उक्त पुराने मीटर की जांच एल.टी.एम.टी लैब मे कराई थी तथा उक्त एल. टी.एम. टी लैब की रिपार्ट के आधार पर मीटर के 60 प्रतिशत धीमा मानते हुये राशि रू. 65658/–की बिलिंग की थी, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 17. 03.2017 को महाप्रबंधक के कार्यालय में की गई थी, जिसे अपीलीय कमेटी द्वारा सुनकर उक्त आपत्ति का निराकरण कर उक्त अतिरिक्त बिल राशि रू.65658/–में आंशिक संशोधन किया गया था, आवेदक अपीलीय कमेटी के उक्त निर्णय से सहमत नही था, जिससे दुखीत होकर, आवेदक ने यह अभ्यावेदन माननीय फोरम के समक्ष सही न्याय पाने के लिये प्रस्तुत किया था, अनावेदक द्वारा आवेदक के आवेदन के अभ्यावेदन का जबाव दिनांक 10.08.2017 के द्वारा पेश किया है, उसमें अनावेदक ने पत्र क्रमांक 4 में लिखा है कि मीटर के खराब मानते हुये, विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के दिये गये प्रावधानो के अनुसार खपत यूनिट का आंकलन किया जाना दर्शाया है, उक्त जबाव के साथ अनावेदक ने कार्यालय महाप्रबंधक (शहर वृत्त) ग्वालियर था, अपीलीय कमेटी का निर्णय भी पेश किया है, जिसके अनुसार अनबैलेंस लोड की स्थिति में मीटर के खराब मानते हुये, विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार खपत यूनिट का आंकलन किया जाना चाहिये, ऐसा उल्लेख किया है, परन्तु अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष अपने जबाव में लिखे उक्त तथ्य एवं समिति के निर्णय में पारित उक्त आदेश का सही मतलब न निकालते हुये, मीटर के खराब मानने के उपरांत भी बिलिंग एल.डी.एच.एफ के फारमूले के आधार पर की है, जो कि केवल विद्युत चोरी के प्रकरण में की जाती है। अनावेदक ने अपने जबाव मे एवं अपीलीय समिति ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है, कि आवेदक के परिसर

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

से निकाला मीटर खराब था, तथा उसकी बिलिंग मीटर खराब मानते हुये विद्युत प्रदाय संहित 2013 के प्रावधानों के अनुसार होना है, के विपरीत जाकर विद्युत की चोरी के लिये की जाने वाली गणना के आधार पर की है, जो पूर्णतः अनुचित है। मीटर खराब/बंद होने की स्थिति के लिये विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ब) मे स्पष्ट प्रावधान दिया है, कि मीटर त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व 3 मापयंत्र चक्रों के मासिक औसत के आधार पर किया जायेगा, परन्तु अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की उक्त कंडिका को अनदेखा कर उपभोक्ता को मानसिक क्षति पहुचाने एवं अवैध राशि वसूल करने की मंशा से खराब मीटर होने के बाद भी विद्युत चोरी के आधार पर गणना की गई , जो कि कानून निरस्त करने योग्य है, इसके अलावा भी आवेदक के परिसर से जो मीटर निकाला गया था, उस मीटर को बंद होने से पूर्व के 12 माह की कुल खपत 4850 यूनिट थी, जिसके अनुसार प्रत्येक माह खपत 400 यूनिट होता है, तथा उसके बाद आवेदक के परिसर में लगाये गये नये मीटर की 11 माह की खपत 4193 यूनिट है, जिसके अनुसार प्रत्येक माह खपत 381 यूनिट होती है, जो स्वयं दर्शित करता है, कि आवेदक के परिसर से निकाला गया मीटर बंद होने से पहले एकदम सही था एवं आवेदक द्वारा उपयोग किये गये लोड के अनुसार सही रीडिंग (खपत) दे रहा था। नये मीटर की रीडिंग के सम्बंध में अनावेदक को जबाव के साथ प्रस्तुत उपभोक्ता पासबुक एवं माह जनवरी 2018 का बिल अवलोकनीय है। अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ब) मे बंद मीटर की बिलिंग करने के लिये जो प्रावधान दिये है, उसके आधार पर उक्त बिलिंग किये जाने पर आवेदक बिल जमा करने के लिये सदैव तैयार है। अतः निवेदन है, कि अनावेदक द्वारा जारी अतिरिक्त राशि के बिल अंतिम निर्धारण आदेश एवं प्रारूप 6 दिनांक निरंक राशि रू. 40176/– को निरस्त का आदेश किया जावे एंव बिलिंग मीटर के खराब होने से विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ब) के अनुसार कराई जाने के आदेश देने की कृपा करे। यही माननीय फोरम से मेरा निवेदन है।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि, आवेदक के परिसर का मीटर गली में पोल पर लगा हुआ है। पोल पर स्पार्क होने के कारण आवेदक ने दिनांक 01.02.2017 को अनावेदक के कार्यालय में मीटर खराब होने की शिकायत की गई जिस पर दिनांक 02.02.2017 को अनावेदक कम्पनी के कनिष्ठ यंत्री द्वारा मौके पर पहुच कर आवेदक के किरायेदार की उपस्थिति में पंचनामा क्रमांक 101753/41 दिनांक 02.02.2017 बनाकर मीटर को एल.टी.एम.टी. लैब में चैक कराने हेतु डिब्बे में पैक किया गया। दिनांक 14.02.2017 को मीटर आवेदक के प्रतिनिधि किरायेदार के समक्ष मीटर टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया गया। जिसमें मीटर 60 प्रतिशत धीमा पाया गया एवं Y एवं B फेज भी बंद पाये गये। मीटर को खोलकर देखा गया मीटर के अंदर कोई भी अनियमित्ता नही पाई गई। मीटर की मानक परिशुद्धता के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार (±5 प्रतिशत) है। अतः यह मीटर 60 प्रतिशत धीमा पाया गया याने मीटर खराब है। आवेदक के परिसर में इसके आलावा और कोई भी अनियमित्ता नही पाई गई।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

आवेदक की संयोजन की उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि ओवदक के मीटर खराब होने के पूर्व एक वर्ष की खपत एवं मीटर बदलने के पश्चात नये मीटर में दर्ज एक वर्ष की खपत लगभग एक समान है। अतः अनावेदक का यह कहना सही नही कि आवेदक के मीटर खराब होने पूर्व दर्ज खपत संदेह जनक है।

दिनांक 02.02.2017 को आवेदक के खराब मीटर में दर्ज रीडिंग 25285 पाई गई है तथा यह मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत धीमा पाया गया है तथा अनावेदक द्वारा 10 दिसम्बर 2016 तक विद्युत देयक में मीटर में दर्ज रीडिंग 26710 दर्शाकर विद्युत देयक आवेदक को जारी किये गये है। जो कि सही नही है। अतः मीटर में दर्ज रीडिंग 25285 उपभोक्ता पासबुक के अनुसार 10 जून 2016 को मीटर में दर्ज रीडिंग 24994 एवं खपत 569 यूनिट है तथा दिनांक 02.02.2017 को मीटर चैक करते समय मीटर में दर्ज रीडिंग 25285 पाई गई है। तथा मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत धीमा पाया गया है। जिसे खराब एवं बंद (त्रुटिपूर्ण) की श्रेणी में पाया गया। माह 10 जून 2016 के पूर्व आवेदक का मीटर सही कार्य कर रहा था तथा 10जून 2016 तक की खपत के जारी सभी विद्युत देयक सही है तथा आवेदक का मीटर 10 जून 2016 के पश्चात खराब हुआ है। माह जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तकअनावेदक द्वारा मीटर औव्हर रीडिंग करते हुए विद्युत देयक आवेदक को जारी किये जाते रहे है जिसे अनावेदक ने भी स्वीकार करते हुये, जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक की की गई औव्हर बिलिंग को समाप्त किया गया एवं 18030/– रूपये की क्रेडिट आवेदक को दी गई है।

अतः फोरम अनावेदक द्वारा आवेदक को उसके संयोजित भार के अनुसार एल.डी.एच.एफ फारमुलेसे आंकलित खपत के जारी विद्युत देयक को निरस्त करता है।

**जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नही रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रकिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :–**

**मध्य प्रदेश विद्यु प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.35 (ब) के अनुसार ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्त के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के**

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

**प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।**

**फोरम का निर्णय :–**

1. अनावेदक द्वारा आवेदक को उसके संयोजित भार के अनुसार एल.डी.एच.एफ फार्मूला लेकर विद्युत खपत का आंकलन कर दिये, विद्युत देयक की राशि रू. 40176/– को निरस्त करता है।
2. अनावेदक को निर्देश्ति किया जाता है कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.35 (ब) के अनुसार आवेदक के विद्युत मीटर खराब रहने की अवधि माह अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक के विद्युत देयक का संशोधन आवेदक के मीटर के सही कार्य करने की अवधि के तीन माह की खपत का औसत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किया जावे। अतः मीटर खराब होने के पूर्व के तीन माह जुलाई 2016 569 यूनिट, जून 2016, 575 यूनिट एवं मई 2016 की खपत 299 यूनिट कुल 1443/3= 481 यूनिट औसत खपत प्रति माह खपत लेकर माह अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक के विद्युत देयकों को संशोधित करे तथा आवेदक को पूर्व में जारी विद्युत देयक रू.40176/– के विरूद्ध जमा की गई राशि रू.13132 को उपरोक्त संशोधन उपरांत जारी विद्युत देयक में समायोजित कर विद्युत देयक आवेदक को जारी किया जावे।

   आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17.01.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 944–45 भोपाल, दिनांक19 / 01 / 2018

प्रति,
श्री अजीजउद्दीन कुरैशी,
मद्दी का बाजार, किला गेट,
ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक19.01.2018के संबंध में।**

**–0–**

**महोदय,**

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–36 / 2017 दिनॉक 19.09.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक19.01.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न** :निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

**प्रतिलिपि –**

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–36 / 2017 दिनांक 19.09.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 19.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

**संलग्नः–**निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.जी.टी.36/2017**

**19.09.2017**

श्री अजीजउद्दीन कुरैशी, (आवेदक)
मद्दी का बाजार, किला गेट,
ग्वालियर (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (उत्तर)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

**आदेश**

**आज–19.01.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/36 दिनॉक 19.09.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.10.2017, 09.11.2017,07.12.2017 एवं 11.01.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी श्री अजीजउद्दीन कुरैशी निवासी मद्दी का बाजार किलागेट ग्वालियर, मै तानसेन नगर जोन विद्युत वितरण केन्द्र का उपभोक्ता हूँ। मेरा मीटर सर्विस क्रमांक 2424205–24–21–8472003000 है। प्रार्थी का मीटर विगत महीनो से फास्ट रनिंग चल रहा है, जिसकी शिकायत तानसेन नगर जोन पर माह अगस्त 2016 में की जिसका शिकायत नं. 2031 है, की गई परन्तु जोन पर इसका कोई रिस्पोन्स नही दिया गया, जिस कारण मेरा विद्युत बिल बढ़कर लगातार 70 हजार रूपये हो गया है। इसकी दूवारा शिकायत 18.03.17

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

को की गई जिसका शिकायत नं. 139 है परन्तु जोन पर इस शिकायत का कोई भी रिस्पोन्स नही दिया गया है।

अतः फोरम से निवेदन है कि आप प्रार्थी की समस्या का निराकरण करने का कष्ट करे। जिससे की अनवाश्यक रूप से बढ रहे बिल का समाधान हो सके।

**5. अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किप्रार्थी श्री अजीजउद्दीन कुरैशी निवासी मद्दी का बाजार किलागेट ग्वालियर, तानसेन नगर जोन विद्युत वितरण केन्द्र का उपभोक्ता है। उपभोक्ता का सर्विस क्रमांक 2424205–24–21–8472003000 है। उपभोक्ता द्वारा उसके परिसर में स्थापित मीटर के तेज चलने एवं उसके बदले जाने बावत् तथा उससे (रीडिंग) संबंधित देयकों को संशोधित करने की मांग की गई।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.05.2017 को मीटर के परीक्षण हेतु आवश्यक धन राशि 50/– रू. रसीद क्रं. 1747/329 से जमा कराई गई। इसके उपरांत जोन आर.एम.टी. लैब द्वारा उक्त मीटर का परीक्षण दिनांक 12.06.2017 को कराया गया निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मीटर सही पाया गया। तत्पश्चात फोरम के समक्ष आवेदक ने निवेदन किया कि उसका मीटर उसकी उपस्थिति में टेस्ट नही कराया गया। अतः मीटर मेरी उपस्थिति में टेस्ट कराया जाये। दिनांक 18.12.2017 को आवेदक की उपस्थिति में उसका मीटर टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया गया। टेस्टिंग में मीटर सही पाया गया। टेस्ट रिपोर्ट संलग्न है।

उक्त परीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है, कि पूर्व में उक्त मीटर से उपभोक्ता को रीडिंग आधारित जो देयक भुगतान के लिए जारी किये गये वह सही है।

अतः शिकायत निराकृत मानी जावे।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक श्री अजीज उद्दीन कुरैशी के नाम से एक विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–24–21–8472003000 टी.ए. एवं संयोजित विद्युत भार 820 वाट है, जो मद्दी का बाजार किला गेट ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन जोन के अंतर्गत आता है।आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया कि, मेरे इस विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर विगत कई महीने से तेज चल रहा है। जिसकी शिकायत क्रमांक 2031 है, की गई। परन्तु

जोन पर इसका कोई रिसपॉन्स नही दिया गया, जिस कारण मेरे विद्युत बिल बढ़कर लगातार 70 हजार रूपये हो गया है। इसकी दो बार शिकायत दिनांक 18.03.2017 को की गई जिसका कम्पलेन नम्बर 139 है। परंतु जोन पर इस शिकायत का भी कोई रिसपॉन्स नही दिया गया।

दिनांक 09.11.2017 को फोरम के समक्ष आवेदक के पुत्र श्री हमीद कुरैशी द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत जबाव में अवलोकन के पश्चात यह कहना है कि, मै अनावेदक द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही से संतुष्ट नही हूॅ एवं जो मीटर की जांच दोबारा मेरी उपस्थिति में कराई जावे यही मेरा निवेदन है।

अनावेदक दिनांक 09.11.2017 को फोरम के समक्ष कथन किया कि प्रकरण से सम्बधित लिखित में जबाव प्रस्तुत कर दिया गया है और आगे कुछ नही कहना। दिनांक 11.01.2018 को अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत मीटर को उसकी उपस्थिति में टेस्ट कराने के उपरांत मीटर टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी एक प्रति आवेदन को दी गई। मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के मीटर की कार्य प्रणाली सही पाई गई। अतः आवेदक को कोई राहत नही दी जा सकती है।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मेरे द्वारा दिये गये आवेदन प्रकरण में प्रार्थी चाहता है कि 6 माह या 3 माह की मीटर खपत देखते हुए विद्युत बिल में सुधार करते हुए मुझे उचित विद्युत बिल प्रदान करने का कष्ट करे। फोरम से यही निवेदन है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक ने माह जून 2014 में रू. 2752/– का भुगतान किया था। जिसके पश्चात आज तक कभी भी आवेदक ने विद्युत बिलों का भुगतान नही किया गया। लगभग 42 माह से आवेदक ने विद्युत बिलों का भुगतान नही किया और आवेदक लगातार विद्युत का उपयोग कर रहा है।

**विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 13 की कंडिका कमांक 9.13 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के विद्युत संयोजन का अस्थाई विच्छेदन के बगैर, अधिकतम 3 (तीन) माह की युक्ति–युक्त अवधि के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करे अनुज्ञप्तिधारी के प्रधिकृत अधिकारी का भी यह दयित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करे तथा अस्थाई या स्थाई रूप से संयोजन के विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार तत्परता से समय बद्ध कार्यवाही की पहल करें।**

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अतः अनावेदक द्वारा उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका के अनुसार कार्यवाही नही कर लगातार माह जुलाई 2014 से जनवरी 2018 तक आवेदक के विद्युत संयोजन पर विद्युत बिलों के भुगतान न करने के कारण उसके विद्युत संयोजन को अस्थई/स्थाई विछेदन की कार्यवाही करनी थी जो कि नही की गई। अनावेदक की सेवा में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। आवेदक के परिसर में विद्युत की खपत लगातार माह मई 2014 से जनवरी 2016 तक विद्युत खपत का पेटर्न लगभग समान है। सितम्बर 2016 से जून 2017 तक की अवधि में कुछ माहो मेंमीटर में विद्युत खपत अधिक दर्ज हुई है इससे यह साबित नही होता है कि मीटर तेज चल रहा है। अतः आवेदक का यह कहना कि उसका मीटर तेज चल रहा है यह कथन सही नही है जो कि मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट में सही पाया गया है। माह मई 2017 में स्थापित नये मीटर में भी आवेदक की विद्युत खपत लगभग पूर्व के वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 की विद्युत खपत के समान है। अतः आवेदक की शिकायत उसका विद्युत मीटर तेज चलने के कारण अधिक खपत दर्ज हुई है मान्य किये जाने योग्य नही है। आवेदक के माह जुलाई 2014 में 100 यूनिट, माह मार्च 2016 में 100 यूनिट, अप्रैल 2016 में 100 यूनिट, मई 2016 में 40 यूनिट एवं जून 2016 में 80 यूनिट, आंकलित खपत लगाकर दिये गये विद्युत देयकों कोसंशोधित किये जाने योग्य पाया है।

अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के माह जुलाई 2014 में 100 यूनिट, माह मार्च 2016 में 100 यूनिट, अप्रैल 2016 में 100 यूनिट, मई 2016 में 40 यूनिट एवं जून 2016 में 80 यूनिट, मीटर खपत के साथ आंकलित खपत लगाकर दिये गये विद्युत देयकों के मीटर में दर्ज खपत के अनुसार संशोधन उपरांत विद्युत देयक दिया जावे। आवेदक के द्वारा माह जुलाई 2014 से जनवरी 2018 तक विद्युत देयका का भुगतान नही किया गया है। अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्ध विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 9 की कंडिका 9.13 के अनुसार कार्यवाही कर नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही करे एवं जब तक विद्युत बिल की बकाया राशि का भुगतान ने किया जाए तब तक आवेदक के विद्युत संयोजन को चालू न किया जावें।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर, प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :19.01.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस.मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)　　सदस्य (अभियांत्रिकी)　　अध्यक्ष

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 946–47 भोपाल, दिनांक 20 / 01 / 2018

प्रति,
श्री हमीद खान पुत्र श्री वहीद खान,
मस्जिद के पास, माधोगंज, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक20.01.2018के संबंध में।**

**–0–**

**महोदय,**

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–39 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक20.01.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न** :निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

**प्रतिलिपि –**

उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–39 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 20.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।**अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक एवं एक प्रति फोरम को प्रेषित करे।**

**संलग्नः–**निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.जी.टी.39/2017**

**17.10.2017**

श्री,हमीद खान पुत्र श्री वहीद खान (आवेदक)
मस्जिद के पास, माधोगंज, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (दक्षिण)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

**आदेश**

**आज–20.01.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/39 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 09.11.2017,07.12.2017, 11.01.2018 एवं 12.01.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी श्री हमीद खान ने वर्ष 2015 अगस्त में मीटर दुकान चलाने हेतु लिया गया था तब से ही दुकान बंद है, लेकिन मीटर में बिना चले रिडिंग दिखाकर पैसा जमा कराया जाता रहा, अब मीटर कनेक्शन काट दिया गया है और मीटर रीडिंग 1455 दिखाकर बिल की मांग की जा रही है, जो कि मीटर में रिडिंग नही है। श्रीमान चाहे तो वर्तमान रिडिंग मगाकर देखी जा सकती है। जब से मीटर लगाया तब से आज तक भी जो मीटर रिडिंग वर्तमान में दिखाई जा रही है उसका भुगतान करने को मै तैयार हूॅ।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अवैध मीटर रिडिंग की मांग पर दिये गये बिल राशि को मीटर रिडिंग लेते वक्त और जो वर्तमान मीटर में जो रिडिंग है उसके आधार पर मुझे बिल दिया जावे और मीटर रीडिंग चैक करा ली जावे और अवैध वसूली को रोका जाकर मीटर लाईन चालू कराई जावे।

**5. अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता के पूर्व में गलत मीटर वाचन का बिल माह 03/2016 से 04/2017 के माध्य जारी हुआ था तथा आंकलित खपत के बिल जारी हुए थे, जिसे माह 05/2017 में संशोधित कर वास्तविक खपत सही मीटर वाचन 187 तक करते हुए राशि रू.10862/– का क्रेडिट समायोजन कर दिया गया है।

इसके बाद भी माह 06/2017 से 10/2017 के माध्य जारी आंकलित खपत को हटाकर टी.एम.एम. आधार पर बिल संशोधित कर रू. 9373/– का क्रेडिट समायोजन कर उपभोक्ता की शिकायत को निराकृत कर दिया गया है।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने दिनांक 07.12.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मै विद्युत मीटर में रीडिंग आज तक 187 दर्ज है 140 यूनिट का बिल भर चुका हूॅ।। मेरे विद्युत संयोजन माह नवम्बर 2016 से विच्छेदित है। मुझे मेरे मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल तैयार कर दिया जावे ताकि मै उसका भुगतान कर सकू।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल पूर्व में अप्रैल 2017 तक संशोधित किया गया है, जिसमें रू.10862/– की क्रेडिट समायोजन किया गया है। चूकिं उपभोक्ता का कनेक्शन वर्तमान में भी कटा हुआ है किन्तु पूर्व में समायोजन के बाद भी माह जून 2017 से अगस्त 2017 तक आंकलित खपत लगाकर गलत विद्युत बिल जारी हुए है, उसकी आंकलित खपत हटाकर पुनः संशोधित कर दिया गया है तथा रू. 9373/– की क्रेडिट उपभोक्ता को दी गई है। इस प्रकार उपभोक्ता के माह अप्रैल 2017 में राशि रू.10862/–, माह नवम्बर 2017 में, राशि रू. 9373/– कुल रू.20235/– की क्रेडिट दी गई है। माह नवम्बर 2017 के विद्युत बिल में लगाई गई आंकलित खपत 175 यूनिट को हटाकर न्यूनतम टैरिफ के आधार पर विद्युत बिल संशोधित कर जनवरी 2018 में उपभोक्ता को जारी कर दिया जाएगा। आवेदक की शिकायत निराकृत, प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक को उसके विद्युत मीटर में दर्ज रीडिंग न लेकर अपने मनमाने तरह से रीडिंग लेकर विद्युत देयक माह अगस्त 2015 से मई 2017 तक लगातार जारी किये जाते रहे। आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2015 तक विद्युत बिलों का भुगतान किया गया। उसके पश्चात उसे जारी गलत विद्युत देयकों में सुधार न करने के कारण उसने उनका भुगतान नही किया। माह नवम्बर 2016 में, आवेदक का विद्युत संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया, जो कि जनवरी 2018 तक विच्छेदित रहा और अनावेदक द्वारा कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित होने के उपरांत भी मनगंढत रीडिंग लेकर एवं आंकलित खपत लगाकर आवेदक को विद्युत बिल जारी रखे।जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन से होती है। जो कि अनावेदक की सेवा में घोर कमी को प्रदर्शित करता है।

फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक को माह मार्च 2016 से अप्रैल 2017 की अवधि में जारी आंकलित खपत के जारी विद्युत बिलों को माह मई 2017 में मीटर में दर्ज रीडिंग 187 के अनुसार मीटर में दर्ज वास्तविक खपत को लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत आवेदक को रू.10862/– की क्रेडिट समायोजन किया गया तथा जून 2017 से अक्टूबर 2017 तक आंकलित खपत हटाते हुए(टी. एम.एम.) टैरिफ मिनिमम लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रू. 9373/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता को कुल राशि रू.20235/– की क्रेडिट दी जाना स्वीकार किया जो कि नियमानुसार एवं न्याय संगत है। अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि माह नवम्बर 2017, दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के विद्युत देयक टैरिफ मिनिमम के अनुसार संशोधित कर आवेदक को दी जाने वाली क्रेडिट देने के उपरांत संशोधित विद्युत देयक को प्रेषित करे ताकि वह उसका भुगतान कर सके तथा आवेदक का विद्युत कनेक्शन भी तुरंत संयोजित करे।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

**अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक एवं एक प्रति फोरम को प्रेषित करे।**

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20.01.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / 930–31 भोपाल, दिनांक 17 / 01 / 2018

प्रति,
श्रीमति रंजना सरवैया,
पत्नी श्री अजीत प्रताप,
कुशवाह मार्केट, मेन रोड़,
डी.डी.नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक15.01.2018के संबंध में।**

**–0–**

**महोदय,**

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–47 / 2017 दिनॉक 17.10.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक15.01.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न** :निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

**प्रतिलिपि –**

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–47 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 15.01.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

**संलग्नः**–निर्णय की प्रति

**सदस्य (अभियांत्रिकी)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र.जी.टी.47/2017**

**17.10.2017**

श्रीमति रंजना सरवैया, (आवेदिका)
पत्नी श्री अजीत प्रताप,
कुशवाह मार्केट, मेन रोड़,
डी.डी.नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

**आदेश**

**आज–15.01.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/47 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 10.11.2017,08.12.2017 एवं 11.01.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका श्रीमति रंजना सरवैया के नाम से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन दीनदयाल पैथोलोजी लैब कुशवाह मार्केट मेन रोड़, डी.डी. नगर ग्वालियर में है। जिसका सर्विस क्रमांक 2424902–71–3–8587374937 एवं संयोजित विद्युत भार 1000 वाट है, के विद्युत बिलों के अनुसार माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक मेरी खपत केवल 356 यूनिट थी जो आपके द्वारा जारी विद्युत बिलों से स्पष्ट है। औसत खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से कम है। माह अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 में स्पाट बिलों में लगभग 2800 यूनिट

खपत आपके द्वारा दर्शाई गई है। मेरे प्रतिष्ठान पर इन दो माहों में ऐसा कोई परिवर्तन नही आया है न ही लोड़ बड़ा है कि इतनी बिजली का उपयोग हो रहा है। माह जून 2017 तक के विद्युत बिलों का भुगतान किया जा चुका है। कृपया निरीक्षण कर संशोधित विद्युत बिल जारी करे जिससे मै भुगतान कर सकू अन्यथा मुझे आपके विभाग की विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं जिला उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगानी पडेगी। शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा सहीत।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि, डी.डी. नगर जोन ग्वालियर द्वारा मेरी शिकायत का निराकरण न करने के कारण मैने अपनी शिकायत के निराकरण हेतु आपके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि मेरे विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिलों में सुधार करवाने की कृपा करे।

**5. अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किप्रकरण क्रमांक जी.टी.–47/2017 दिनांक 17.10.2017 में उपभोक्ता श्रीमति रंजना सरवैया दिनदयाल पैथोलॉजी लैब डी.डी. नगर के द्वारा अपने विद्युत संयोजन क्रमांक 8587374937 में कि गई शिकायत के तारतम्य में निवेदन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत के तारतम्य में दिनांक 08.12.2017 को श्रीमान जी द्वारा उपभोक्ता का मीटर एल.टी.एम.टी लैब में चैक करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी तारतम्य में दिनांक 16.12.2017 को रिफरेन्स नं. 7/95 उपभोक्ता के समक्ष मीटर चैक किया गया जिसके अनुसार मीटर टेस्टिंग में सही पाया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व में उपभोक्ता को रू. 1485/– की क्रेडिट दी जा चूकिं है एवं प्रकरण एन.डी.एल (नान डोमेस्टिक) श्रेणी का होने के कारण और कोई सुधार संभव नही है। प्रकरण में बिलिंग केलक्युलेशन शीट एल.टी.एम.टी. लैब से मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट उपभोक्ता पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त किये जाने की कृपा करे।

**6. फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका ने फोरम के समक्ष दिनांक 10.11.2017 को कथन किया कि मेरे द्वारा मेरे विद्युत संयोजन क्रमांक 8587374937 के विद्युत बिल की शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन पर की गई है। अनावेदक ने स्वतः बताया की सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल से प्राप्त मैसेज के अनुसार मेरी शिकायत का निराकरण करके शिकायत बंद कर दी गई है। जिससे में सहमत एवं सतुष्ट नही हूॅ। अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत का क्या निराकरण किया है मुझे नही मालूम।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

मेरे द्वारा शिकायत निराकरण की जानकारी अगली पेशी पर फोरम के समक्ष अनावेदक प्रस्तुत करेगे तब मै अपनी शिकायत के निराकरण के बारे में बता पाउगी।

अनावेदक प्रतिनिधि ने दिनांक 08.12.2017 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि आवेदिका के विद्युत संयोजन का विद्युत मीटर बदलने के बाद माह सितम्बर 2017 में इक्ट्ठी दर्ज खपत 2723 यूनिट को माह अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक प्रतिमाह बराबर विभाजित करके विद्युत बिल संशोधित किया गया है। जिसके फलस्वरूप राशि रू.1382/– की क्रेडिट आवेदिका को दी गई है। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

आवेदिका ने प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा उसके विद्युत बिल की शिकायत के निराकरण से वह सहमत नही है। मेरे मीटर में खपत अधिक दर्ज होने से मुझे संदेह है, कि मेरा मीटर खराब हो सकता है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि मेरे मीटर की लैब में जांच कराई जाये। फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देर्शित किया गया कि अगली पेशी पर आवेदिका के विद्युत संयोजन का विद्युत मीटर एल.टी.एम.टी लैब ग्वालियर में आवेदिका की उपस्थिति में टेस्ट कराकर फोरम के समक्ष मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अनावेदक ने दिनांक 11.01.2018 को आवेदिका के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर की टेस्ट रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की। जिसकी एक प्रति आवेदिका को दी गई। जिसका अवलोकन करने के बाद आवेदिका ने फोरम के समक्ष कथन किया कि मीटर टेस्टिंग लैब में मीटर सही पाया गया है। अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत के निराकरण में लगाई गई आंकलित खपत हटाते हुए 1485/– रू. की क्रेडिट उसे दी जा चुकी है एवं मेरा विद्युत देयक संशोधित कर दिया गया है। अतः मेरी शिकायत का निराकरण हो गया है। जिससे में संतुष्ट हूँ। प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों कि विवचेना उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 85873774937 पर स्थापित खराब मीटर क्रमांक 691259 को बदलकर नया मीटर क्रमांक 00017856 प्रारंभिक रीडिंग 0002 पर स्थापित किया गया। जो माह फरवरी 2017 में स्थापित किया गया होगा की पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से होती है, के बाद आवेदिका के मीटर की रीडिंग सही तरीके से ना लेकर दिनांक 15 मार्च 2017 की 40, 14 अप्रैल 2017 की 40, 17 मई 2017 को 87, 15 जून 2017 को 356, 13 जुलाई 2017 को 356, एवं 24 अगस्त 2017 को 2725 इक्ट्ठी रीडिंग मीटर में दर्ज हुई है एवं अनावेदक ने उपरोक्त माहों में विद्युत देयक क्रमशः अप्रैल 2017 में 38 यूनिट, मई 2017 में 0 यूनिट, जून 2017 में 87 यूनिट, जुलाई 2017 में 269 यूनिट अगस्त 2017 में 200 यूनिट आंकलित खपत तथा

सितम्बर 2017 में 2369 यूनिट खपत का विद्युत देयक आवेदिका को दिया गया जो कि विवाद का कारण है

अनावेदक ने माह सितम्बर 2017 मे मीटर में दर्ज इक्ट्ठी रीडिंग 2725 एवं खपत 2723 यूनिट को माह अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक 6 माह में बराबर विभाजित कर आवेदिका के विद्युत देयक प्रतिमाह 453 यूनिट खपत लेकर संशोधन करने के उपरांत रू. 1485/– की क्रेडिट आवेदिका को दी गई है। जिससे वह सहमत है। जो कि न्याय संगत एवं नियमानुसार है।

अतः आवेदिका कि शिकायत निराकृत होकर, प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15.01.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |